UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shatakatraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

"किसी सभ्य समाज के किसी भी सदस्य पर, उसकी इच्छा के विरुद्ध, सत्ता का उचित प्रयोग केवल एक ही उद्देश्य से हो सकता है — दूसरों को हानि से बचाना।"

— जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी (1859), अध्याय 1

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 10 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हज़ार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)
UPSC Darpan · 10 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

1. **सेवा परमो धर्मः — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
2. **The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
3. **Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
4. **Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
5. **Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
6. **Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
7. **Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

> *We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्मः — and we shall become.*

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

> *""इसलिए, यदि आरक्षण को अनुच्छेद 10 के उपखंड (1) के अनुरूप रहना है, तो आरक्षित स्थान अल्पसंख्या में ही सीमित रहने चाहिए। तभी वह पहला सिद्धांत संविधान में अपना स्थान पा सकेगा और व्यवहार में प्रभावी हो सकेगा।""*

— **बी.आर. आंबेडकर** · *संविधान सभा में प्रारूप अनुच्छेद 10 (अब अनुच्छेद 16) पर भाषण, 30 नवंबर 1948 (संविधान सभा की बहसें)*

उपयोग करें (Use in): आज का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसने OBC कोटा 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के अधिनियम को (EWS सहित कुल 73%) रद्द किया, क्योंकि राज्य 50% की सीमा लाँघने के लिए कोई "असाधारण" स्थिति नहीं दिखा सका; और उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश की स्थानीय निकायों में 34% BC कोटा की अपील का ख़ारिज किया जाना। इसका उपयोग आरक्षण, अवसर की समानता और इंद्रा साहनी की सीमा पर सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में कीजिए: आंबेडकर ने स्वयं 70% आरक्षित और 30% खुले का उदाहरण दिया और उसे अवसर की समानता से असंगत बताया। संतुलन रखिए: उन्होंने उतने ही आग्रह से कहा कि जिन समुदायों को सेवाओं से लंबे समय तक बाहर रखा गया, उन्हें उनका स्थान मिलना चाहिए; अतः सीमा कोटे के आकार पर अनुशासन है, कोटे के विरुद्ध तर्क नहीं; उपाय है प्रतिनिधित्व के ताज़ा आँकड़े।

> *""इन अपराधों के अपराधियों को दंड से मुक्ति का अंत करने और इस प्रकार ऐसे अपराधों की रोकथाम में योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यह स्मरण करते हुए कि अंतरराष्ट्रीय अपराधों के उत्तरदायी व्यक्तियों पर अपनी आपराधिक अधिकारिता का प्रयोग करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है…""*

— **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम संविधि** · *प्रस्तावना (रोम में 17 जुलाई 1998 को अंगीकृत; 2002 में लागू)*

उपयोग करें (Use in): आज का नवी पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार, जो भारतीय तमिल मूल की दक्षिण अफ़्रीकी विधिवेत्ता हैं और रवांडा न्यायाधिकरण तथा ICC में न्यायाधीश रहीं, और कुछ घंटे बाद घोषित ICC पर ही अमेरिकी प्रतिबंध ("या तो ICC अपनी धमकियाँ बंद करे, या हम ICC को ही समाप्त कर देंगे")। इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और भारत की स्थिति पर सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में, तथा विधि और शक्ति पर निबंधों में कीजिए। दूसरा खंड पूरकता (complementarity) का सिद्धांत कहता है: अभियोजन का कर्तव्य पहले प्रत्येक राज्य का है, अतः न्यायालय तभी आगे आता है जब कोई राज्य विफल रहे। भारत के लिए, जो इसका पक्षकार नहीं है, यही ईमानदार ढाँचा भी है: वह न्यायालय से बाहर रहकर भी गंभीर अपराधों पर अपने क़ानून मज़बूत कर सकता है और न्यायाधीशों पर प्रतिबंधों का विरोध कर सकता है।

> *""बाढ़ें 'ईश्वरीय कृत्य' हैं, पर बाढ़ से होने वाली हानि मुख्यतः मनुष्य का कृत्य है। नदियों के बाढ़-मैदानों पर मानवीय अतिक्रमण ही बाढ़-हानियों की ऊँची वार्षिक क़ीमत का कारण है।""*

— **गिल्बर्ट एफ़. व्हाइट** · *Human Adjustment to Floods (University of Chicago, Department of Geography, Research Paper No. 29, 1945), पृ. 2*

उपयोग करें (Use in): आज की लखनऊ में गोमती की बाढ़, जहाँ ऊपरी जल-ग्रहण क्षेत्र में लगभग 150 मिमी वर्षा (सामान्य 15 मिमी के विरुद्ध) के बाद 1982 के बाद पहली बार इस पैमाने की रिवरफ़्रंट जल-प्लावन से लगभग 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं, और विपक्ष आर्द्रभूमियों व बाढ़-मैदानों में निर्माण का आरोप लगा रहा है जबकि LDA तटबंध का प्रस्ताव कर रहा है। इसका उपयोग नगरीय बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर सामान्य अध्ययन-1 व 3 के उत्तरों में, तथा प्रकृति और नियोजन पर निबंधों में कीजिए: व्हाइट ने केवल संरचनाओं पर निर्भर रहने के बजाय भूमि-उपयोग को समायोजित करने की वकालत की। संतुलन रखिए: वर्षा स्वयं अतिशय थी और तटबंधों की भूमिका है, पर वे बाढ़-मैदान ज़ोनिंग और संरक्षित जल-निकासी का विकल्प नहीं हो सकते।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड · पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 10 मिनट।

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी ख़बरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण रद्द किया, 50% की सीमा के भीतर 14% बहाल
1.2 सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली से कहा: प्रदर्शन के दिन मेट्रो और रेलगाड़ियों को बंद नहीं, विनियमित करें
1.3 निर्वाचन आयोग ने फ़ॉर्म 7 की आपत्तियों की सीमा तय की: दावा अवधि में दस, उसके बाद महीने में पाँच

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

2.1 अधिशेष चलनिधि सोखने के लिए RBI ने दैनिक CRR की न्यूनतम सीमा 90% से बढ़ाकर 99% की
2.2 2022-23 आधार पर राज्य GDP के आकलन के लिए MoSPI ने साझा व्यय-पक्ष पद्धति का मसौदा रखा
2.3 भारत नया मॉडल तैयार करने में जुटा है; सऊदी द्विपक्षीय निवेश संधि में स्थानीय उपचार की प्रतीक्षा घटकर दो वर्ष

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

3.1 अल नीनो की आहट के बीच सितंबर में VB-G RAM G के तहत ग्रामीण काम की माँग 25% उछली

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

4.1 नवी पिल्लै को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार, उसी दिन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

5.1 गोमती का पानी लखनऊ के रिवरफ्रंट में 1982 के बाद सबसे अधिक फैला, 25,000 लोग प्रभावित

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

6.1 WHO ने बच्चों और किशोरों में मोटापे पर पहली वैश्विक मार्गदर्शिका जारी की, दस वर्ष से कम आयु के लिए दवाओं को अस्वीकार किया

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

7.1 RBI के प्रमाणीकरण नियम प्रौद्योगिकी को नहीं, परिणामों को विनियमित करते हैं: OTP, ऐप्पल पे और धोखाधड़ी का प्रश्न

8. समाज (Society)

8.1 संसदीय समिति की 382वीं रिपोर्ट: NTA के लिए प्रश्न बैंक और 1,000 सरकारी CBT केंद्र

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

9.1 मणिपुर ने तीन पहाड़ी ज़िलों में अफ़ीम से साफ़ किए गए 255 हेक्टेयर वन भूमि पर बाँस लगाया

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

9.1 प्रकरण 1 — “मक्खी मारने के लिए हथौड़ा”: पुलिस आयुक्त और प्रदर्शन के दिन की बंदी
9.2 प्रकरण 2 — “यह जानकर स्तब्ध रह गया कि मैं मर चुका हूँ”: निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और विधायक की आपत्तियाँ

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

10 19 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1
11.2 GS1 कोना — Geography: गंगा के मैदान में बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध और बाँध
11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): शक्ति के प्रयोग में आनुपातिकता (Proportionality)
11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

12.1 निषेध नहीं, नियमन : स्वतंत्र जनता पर शासन करने की कला।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी ख़बरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	**मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 50% सीमा के तहत 27% OBC आरक्षण रद्द किया** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS2 आरक्षण: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 16(4) और Indra Sawhney; मुख्य परीक्षा के लिए पर्याप्तता बनाम जनसंख्या-अनुपात।*
2.1	**RBI ने अधिशेष तरलता सोखने के लिए दैनिक CRR न्यूनतम सीमा 99% की** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS3 मौद्रिक नीति: प्रारंभिक परीक्षा के लिए RBI अधिनियम की धारा 42 के तहत CRR; मुख्य परीक्षा के लिए तरलता ही असली संचरण माध्यम।*
4.1	**अमेरिका के ICC पर प्रतिबंध के बीच नवी पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ: प्रारंभिक परीक्षा के लिए ICC, ICJ और पूरकता; मुख्य परीक्षा के लिए रोम संविधि से भारत की दूरी।*
5.1	**गोमती ने लखनऊ के रिवरफ़्रंट को 1982 के बाद सबसे अधिक डुबोया** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS1 और GS3 आपदा प्रबंधन: बाढ़ के मैदान और तटबंध; मुख्य परीक्षा के लिए शहरी बाढ़ भूमि-उपयोग की विफलता के रूप में।*
8.1	**संसदीय समिति ने NTA से प्रश्न बैंक और सरकारी CBT केंद्र माँगे** ***क्यों ज़रूरी:*** *GS2 शासन एवं शिक्षा: परीक्षा की शुचिता और जवाबदेह NTA; पेपर लीक मुख्य परीक्षा का बार-बार आने वाला विषय।*

> *इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।*

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

तीनों ख़बरें एक ही कसौटी पर टिकी हैं: क्या राज्य अपने निर्णय के कारण बता सकता है? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 50% आरक्षण की सीमा लाँघने का औचित्य सिद्ध नहीं कर पाए, दिल्ली एक प्रदर्शन के नाम पर मेट्रो बंद करने का औचित्य नहीं बता सकी, और निर्वाचन आयोग को थोक में मतदाताओं के विरुद्ध बिना आधार आपत्तियाँ दाख़िल किए जाने पर रोक लगानी पड़ी है। हर मामले में अब न्यायालय या नियम माँग करते हैं कि राज्य कार्रवाई से पहले प्रमाण दे।

1.1 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण रद्द किया, 50% की सीमा के भीतर 14% बहाल

मुद्दा The 50% reservation ceiling (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता · स्वतंत्रता और जवाबदेही

> *अब तक की कहानी: इंदिरा साहनी (1992) ने आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। मध्य प्रदेश के 2019 के अधिनियम ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया, जिससे EWS सहित कुल आरक्षण 73% हो गया। फ़रवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन महीने में निर्णय देने को कहा था।*

समाचार (THE NEWS) भोपाल, 9 अक्टूबर। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ़ की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य के 2019 के आरक्षण संशोधन अधिनियम को "असंवैधानिक" ठहराते हुए रद्द कर दिया। पीठ के अनुसार राज्य 50% की सीमा लाँघने के लिए कोई "असाधारण परिस्थिति या आपातकालीन स्थिति" सिद्ध नहीं कर सका। राज्य के विश्वविद्यालय के 2023 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि उच्च शिक्षा की 33.87% सीटों और सरकारी पदों के 28.16% पर ओबीसी का स्थान है। लगातार चार ओबीसी मुख्यमंत्रियों और 25% से अधिक मंत्रियों व विधायकों के ओबीसी होने के आधार पर उसने उन्हें "पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त" माना। सितंबर 2022 तक 27% आरक्षण के अंतर्गत हुई नियुक्तियाँ सुरक्षित रहेंगी। द हिंदू के अनुसार, "87:13 फ़ॉर्मूले" के तहत उसके बाद से रोके गए 13% पद तीन महीने के भीतर अनारक्षित अभ्यर्थियों को दिए जाएँगे। उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण बहाल करने की आंध्र प्रदेश की अपील ख़ारिज कर दी।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

इंदिरा साहनी ने 50% की सीमा तय की (1992) → मध्य प्रदेश ने 2019 के चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया → उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त 13% रोका (2022) → सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय माँगा (फ़रवरी 2026) → असाधारण परिस्थितियों के अभाव में अधिनियम रद्द

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. इंदिरा साहनी ने 50% की सीमा और आँकड़ों की अनिवार्यता तय की** — अनुच्छेद 16(4) राज्य को ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए पदों के आरक्षण की अनुमति देता है जिसका राज्य की सेवाओं में "पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं" है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश सहित विशेष उपबंधों की छूट देते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण की सीमा "असाधारण स्थितियों को छोड़कर" 50% निर्धारित की। **2. स्थानीय निकायों के आरक्षण को अलग 'त्रि-स्तरीय परीक्षण' पार करना होता है** — अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6) राज्यों को क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं की सीटें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने देते हैं। विकास किशनराव गवली (2021) में अपेक्षा है कि समर्पित आयोग अनुभवजन्य जाँच करे, आरक्षण निकाय-दर-निकाय तय हो, और कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. अब सीमा की परीक्षा केवल संख्या पर नहीं, आँकड़ों पर होती है** — GS2 में "इन कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय" पूछे जाते हैं। एक ही दिन दो न्यायालयों द्वारा राज्य के आँकड़ों को परखा जाना दिखाता है कि इस संरक्षण को अब किस कसौटी पर आँका जाता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 16(4) ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों के आरक्षण की अनुमति देता है जिसका राज्य की राय में उसकी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ● अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6) क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सक्षम बनाते हैं। ● जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संशोधन के 10% EWS आरक्षण को 3:2 के बहुमत से वैध ठहराया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. निर्णय पर्याप्तता को मापता है, पात्रता को नहीं** — न्यायालय ने यह नहीं कहा कि ओबीसी पिछड़े नहीं हैं; उसने उनका 14% बनाए रखा। उसका प्रश्न यह था कि क्या राज्य ने ऐसा कम प्रतिनिधित्व सिद्ध किया है जिसे केवल बड़ा आरक्षण ही दूर कर सकता है। उसने जोड़ा कि ओबीसी के रिक्त पद भर्ती की विफलता दिखाते हैं, अधिक आरक्षण की आवश्यकता नहीं। **2. लेंस — वृद्धि और समता: जनसंख्या के अनुपात में तय आरक्षण उसी समता की बलि देता है जिसकी वह सेवा करता है** — मध्य प्रदेश की लगभग आधी आबादी ओबीसी है, इसलिए 27%

	मामूली लगता है; परंतु अनुच्छेद 16(4) 'पर्याप्त' प्रतिनिधित्व की बात करता है, 'आनुपातिक' की नहीं। जिन समूहों को व्यवस्था पीछे छोड़ देती है उन तक पहुँचने के लिए जातिवार ताज़ा आँकड़े चाहिए। कोई राज्य बड़े आँकड़े का वादा करे, उससे पहले विवेकशील अधिकारी एक ठोस पिछड़ेपन सर्वेक्षण के लिए धन जुटाएगा। 3. **आंध्र प्रदेश दिखाता है कि किस तरह के आँकड़े विफल होते हैं** — आंध्र प्रदेश ने ताज़ा सर्वेक्षण और समर्पित आयोग का हवाला दिया, फिर भी पीठ ने स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन का आकलन किए बिना "एकीकृत पारिवारिक सर्वेक्षण" को अपर्याप्त पाया। न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा, "यह किस कानून के अंतर्गत किया जा रहा है?" सिर गिन लेना राजनीतिक पिछड़ेपन का निष्कर्ष नहीं है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"आरक्षण का आधार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता होना चाहिए, जनसंख्या का अनुपात नहीं।" 50% की सीमा पर हाल के निर्णयों के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए** — अधिक आरक्षण के पक्ष को सीमा के सामने तौलिए और निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. **प्रस्तावना — अनुच्छेद 16(4) 'पर्याप्तता' की बात करता है** — इंदिरा साहनी का 50% का नियम; 9 अक्टूबर को दो आरक्षण गिरे। 3. **मुख्य भाग — राज्य 50% केवल असाधारण आवश्यकता के प्रमाण पर ही लाँघ सकते हैं** — मूल्य-वर्धन: मध्य प्रदेश के आँकड़े — सरकारी पदों का 28.16% और उच्च शिक्षा की 33.87% सीटें ओबीसी के पास। 4. **मुख्य भाग — आनुपातिक आरक्षण जातियों के बीच होड़ पैदा करते हैं** — फ़्लोचार्ट: आँकड़े, आयोग, आरक्षण का आकार, न्यायिक पुनर्विलोकन। 5. **निष्कर्ष — नियमित आँकड़ों वाला स्थायी आयोग** — आरक्षण की समीक्षा साक्ष्य के आधार पर हो, चुनावी समय के आधार पर नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन के रूप में आप सेवारत कर्मचारियों में असंतोष पैदा किए बिना इस आदेश का पालन कैसे करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** 87:13 फ़ॉर्मूले के तहत रोके गए सभी पदों की सूची बनाकर मैं तीन महीने की अवधि में उन्हें मौजूदा मेरिट सूचियों से भरूँगा। सितंबर 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को लिखित आश्वासन दूँगा कि आदेश उनकी रक्षा करता है। अभ्यर्थी चार वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं कोई नई रोक नहीं लगाऊँगा।

1.2 सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली से कहा: प्रदर्शन के दिन मेट्रो और रेलगाड़ियों को बंद नहीं, विनियमित करें

मुद्दा Right to protest and public order (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था · विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी: दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के त्यागपत्र की माँग वाले 10 अक्टूबर के जंतर मंतर प्रदर्शन की अनुमति कम समय की सूचना का हवाला देकर नहीं दी, जबकि नई दिल्ली में धारा 163 BNSS के आदेश से जमावड़े प्रतिबंधित थे।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं वी. मोहना की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के लिए मेट्रो स्टेशनों और रेलगाड़ियों को बंद करने वाली अधिसूचनाएँ "अतिशय प्रतीत होती हैं, क्योंकि वे अत्यावश्यक सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती हैं", लाइवलॉ के अनुसार (MA Baby v Union of India)। पीठ ने रेल संचालन में पूर्ण 'निषेध' और 'विनियमन' के बीच "अंतर" रेखांकित किया। सेवाएँ "आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए" नियंत्रित ढंग से चलेंगी। आनुपातिकता का अर्थ है कि अंकुश उतना ही व्यापक हो जितना ख़तरा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आनुपातिकता का अर्थ यह नहीं कि "मक्खी मारने के लिए हथौड़ा चलाया जाए", और उन्होंने तलाशी तथा CCTV का सुझाव दिया। बंदी 57 स्टेशनों पर थी, बाद में 45 पर, और 245 रेलगाड़ियाँ रद्द की गईं। केंद्र प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थल पर विचार करेगा। लाइवलॉ के अनुसार एक याचिका में आरोप है कि आदेश के बावजूद बंदी जारी रही।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

SIR विवाद से प्रदर्शन का आह्वान → पुलिस ने कम सूचना के आधार पर जंतर मंतर की अनुमति नहीं दी → धारा 163 का आदेश, मेट्रो बंदी और इंटरनेट बंद → याचिकाकर्ताओं ने बंदी को अनुपातहीन बताया → सर्वोच्च न्यायालय ने विनियमन और निषेध में अंतर किया

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **अनुच्छेद 19 सभा करने का अधिकार देता है, पर उचित निर्बंधन की गुंजाइश रखता है** — अनुच्छेद 19(1)(a) वाक्-स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की तथा 19(1)(b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19(2) और 19(3) लोक व्यवस्था के हित सहित उचित

	निर्बंधनों की अनुमति देते हैं। मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) में न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मूल अधिकार माना और कहा कि प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करने के बजाय विनियमित किया जा सकता है। 2. **आनुपातिकता वह कसौटी है जिस पर हर निर्बंधन को खरा उतरना होता है** — मॉडर्न डेंटल कॉलेज (2016) और के.एस. पुट्टस्वामी (2017) में वैध उद्देश्य, तर्कसंगत संबंध, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय और उचित संतुलन की अपेक्षा की गई है। अनुराधा भसीन (2020) में इसे इंटरनेट बंदी पर लागू किया गया। अमित साहनी (2020) में कहा गया कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक मार्गों पर अनिश्चित काल तक कब्ज़ा नहीं कर सकते।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **अधिकार बनाम लोक व्यवस्था का प्रश्न हर वर्ष लौटता है** — GS2 में "भारतीय संविधान — ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ… महत्त्वपूर्ण उपबंध" दिए गए हैं। परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध इसका स्पष्ट उदाहरण है कि निर्बंधन कब उचित नहीं रह जाता।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 19(3) लोक व्यवस्था तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में सम्मेलन के अधिकार पर उचित निर्बंधन की अनुमति देता है। ● भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 163, निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 का स्थान लेती है। ● लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 223 के अंतर्गत अपराध है, जो पूर्व में IPC की धारा 188 थी। ● प्रदर्शन की अनुमति से दिल्ली पुलिस के इनकार के विरुद्ध कोई आंतरिक अपील नहीं है; उपचार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **न्यायालय ने यात्रियों की रक्षा की, प्रदर्शनकारियों की नहीं** — आयोजक के उपस्थित न होने से पीठ ने केवल परिवहन पर निर्णय दिया — उन विद्यार्थियों, कामगारों और बुज़ुर्गों के लिए जिनके पास गाड़ी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारियों को लक्ष्य बनाकर लगाया गया अंकुश बाक़ी सबको चुकानी पड़ने वाली क़ीमत के कारण भी आनुपातिकता की कसौटी पर विफल हो सकता है। 2. **लेंस — विधि का शासन और विवेकाधिकार: विनियमन की शक्ति रोक देने की शक्ति नहीं है** — पुलिस संख्या सीमित कर सकती है, मार्ग तय कर सकती है और भीड़ की तलाशी ले सकती है; 2018 का निर्णय इसकी अनुमति देता है। पूरे स्टेशन बंद करना जोखिम के आकलन की जगह ऐसा सर्वव्यापी प्रतिबंध रख देता है जिसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता। विवेकशील अधिकारी वह न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय चुनेगा जो कारगर हो, और दर्ज करेगा कि हल्के उपाय पर्याप्त क्यों नहीं थे। 3. **वैकल्पिक स्थल ही स्थायी सुधार है** — पुलिस दिशानिर्देशों के अनुसार जंतर मंतर में केवल 1,000 लोग समा सकते हैं, और इनकार के विरुद्ध पुलिस के भीतर अपील नहीं हो सकती। सुविधाओं से युक्त एक बड़ा निर्दिष्ट स्थल पुलिस को निषेध के बजाय योजना बनाने देगा। इसके बिना हर बड़ा प्रदर्शन फिर न्यायालय पहुँचेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	आनुपातिकता के सिद्धांत के संदर्भ में किसी सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने के अंतर को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — स्पष्ट कीजिए** — आनुपातिकता को विभाजक रेखा मानकर अंतर साफ़ कीजिए। 2. **प्रस्तावना — अनुच्छेद 19(1)(b) के साथ 19(3)** — मेट्रो बंदी पर 9 अक्टूबर का आदेश। 3. **मुख्य भाग — विनियमन तरीक़े, समय और स्थान को सीमित करता है; निषेध अधिकार ही छीन लेता है** — मूल्य-वर्धन: मज़दूर किसान शक्ति संगठन (2018)। 4. **मुख्य भाग — चार-चरणीय कसौटी पुलिस से हल्के विकल्पों को दर्ज कराती है** — आरेख: तलाशी से बंदी तक की सीढ़ी, हर चरण पर कारण सहित। 5. **निष्कर्ष — निर्दिष्ट स्थल और लिखित कारण** — प्रदर्शन को रोकने के बजाय उसकी योजना बनाइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण	**प्रश्न 1. नई दिल्ली के DCP के रूप में आपको कल बड़े प्रदर्शन की आशंका है। मेट्रो बंद किए बिना आप व्यवस्था कैसे बनाए रखेंगे?**

(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं केवल आयोजन-स्थल के सबसे निकट के निकास बंद करूँगा, व्यस्त स्टेशनों पर तलाशी और CCTV बढ़ाऊँगा, और एक शाम पहले यातायात परामर्श जारी करूँगा। भीड़ की संख्या सीमित होगी और अतिरिक्त मैदान चिह्नित किया जाएगा। इससे व्यापक किसी भी बंदी के लिए लिखित जोखिम-आकलन आवश्यक होगा, जो दिखाए कि हल्के उपाय क्यों विफल रहते।

1.3 निर्वाचन आयोग ने फ़ॉर्म 7 की आपत्तियों की सीमा तय की: दावा अवधि में दस, उसके बाद महीने में पाँच

मुद्दा **मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)** (कड़ी 12) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था · स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) हर निर्वाचक का पुनः सत्यापन करता है। फ़ॉर्म 7 की थोक आपत्तियों के बाद आयोग ने जाँच और छूटे मतदाताओं के लिए अभियान का आदेश दिया; 1 अक्टूबर को उसने ERO को सुनवाई के बिना नोटिस-मामले निपटाने की छूट दी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया कि कोई व्यक्ति दावे-और-आपत्ति की अवधि में अधिकतम दस फ़ॉर्म 7 (नाम पर आपत्ति या उसे हटाने का फ़ॉर्म) दाख़िल कर सकता है, और सतत अद्यतन की अवधि में महीने में पाँच। यह सीमा काग़ज़ी फ़ॉर्मों पर भी लागू है, जिन पर पहले कोई सीमा नहीं थी, और ऑनलाइन दाख़िल फ़ॉर्मों पर भी। आयोग ने माना कि "अप्रमाणित आधारों" पर थोक आपत्तियों के "उदाहरण" सामने आए हैं। ERO को पहले आपत्तिकर्ता की, फिर जिस पर आपत्ति है उसकी सुनवाई करनी होगी। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, विजयपुरा में आठ जीवित मतदाताओं के जाली मृत्यु प्रमाणपत्रों के मामले में विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के नाम FIR दर्ज है। पश्चिम बंगाल में SIR की 38.31 लाख अपीलों में से 37.05 लाख लंबित हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने पहले समावेशन की अपीलें सुनने का सुझाव दिया।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

SIR हर निर्वाचक का पुनः सत्यापन करता है → थोक आपत्तियाँ, कुछ जाली काग़ज़ों के साथ → आयोग ने जाँच का आदेश दिया (2 अक्टूबर) → सीमाएँ और अनिवार्य सुनवाई (9 अक्टूबर) → अधिकरणों के समक्ष अपीलों का अंबार

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **संविधान मताधिकार को सार्वभौमिक बनाता है और मतदाता सूची को आयोग का दायित्व** — अनुच्छेद 324 मतदाता सूची का अधीक्षण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 325 केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर सूची से बाहर रखने का निषेध करता है, और अनुच्छेद 326 18 वर्ष पर वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) की धाराएँ 22 और 23 प्रविष्टियों के सुधार और समावेशन को शासित करती हैं। 2. **1960 के नियम नाम हटाने से पहले सुनवाई अनिवार्य करते हैं** — निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 13(2) आपत्तियों को फ़ॉर्म 7 और उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों तक सीमित करता है। नियम 19 और 20 ERO के निर्णय से पहले नोटिस और सुनवाई अनिवार्य करते हैं। लाल बाबू हुसैन (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूची में दर्ज मतदाता का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं काटा जा सकता।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **चुनावी शुचिता का केंद्र अब मतदाता सूची है** — GS2 में "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ" और संवैधानिक निकायों की भूमिका शामिल हैं। आपत्ति के ज़रिए नाम हटाना इन दोनों की परीक्षा लेता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● फ़ॉर्म 6 मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, फ़ॉर्म 7 नाम शामिल होने पर आपत्ति या उसे हटाने के लिए, और फ़ॉर्म 8 प्रविष्टियों के सुधार या स्थानांतरण के लिए प्रयोग होता है। ● लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 मतदाता सूची के संबंध में मिथ्या कथन या घोषणा करने को दंडनीय बनाती है। ● मतदाता सूची पर नियमावली (Manual on Electoral Rolls), 2023 के अंतर्गत एक व्यक्ति की थोक आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जातीं, और जहाँ एक व्यक्ति पाँच से अधिक मामलों में आपत्ति करे वहाँ ERO को स्वयं सत्यापन करना होता है। ● मान्यता प्राप्त दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ता मसौदा सूची से पहले दिन में 50 फ़ॉर्म और उसके बाद दिन में दस फ़ॉर्म तक सीमित हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **सीमा लक्षण का इलाज है; रोग का इलाज सुनवाई है** — प्रति व्यक्ति दस फ़ॉर्म की छूट में भी कोई संगठित समूह सैकड़ों मतदाताओं को निशाना बना सकता है। मतदाता की रक्षा दोनों पक्षों की अनिवार्य सुनवाई से होती है। यदि ERO सुनवाई करते हैं तो थोक आपत्तियाँ दाख़िल करने वाले के लिए महँगी पड़ेंगी; यदि वे उसे छोड़ देते हैं तो कोई सीमा काम नहीं आएगी। 2. **लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही: अब आयोग को उसकी अपनी प्रक्रिया की कसौटी पर परखा जा रहा है** — इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादकीय ने इस सफ़ाई को "उचित प्रक्रिया के बिना

	मतदाताओं को हटाने का आवरण" कहा; उसी अख़बार में राम माधव ने आयोग के आँकड़ों का हवाला दिया कि समीक्षित 13.39 करोड़ में से 2.80 करोड़ मृत थे। दोनों बातें सही हो सकती हैं। विवेकशील अधिकारी बूथ और कारण के अनुसार हटाए गए नामों को प्रकाशित करेगा ताकि लेखा-परीक्षा से विवाद सुलझे। 3. **सबूत का भार आपत्तिकर्ता पर आना चाहिए** — विजयपुरा के जाली मृत्यु प्रमाणपत्र जोखिम दिखाते हैं: जिस मतदाता को आपत्ति की जानकारी ही नहीं दी गई, वह अपना नाम बचा नहीं सकता। समावेशन की अपीलें पहले सुनने का सुझाव इसी तर्क पर चलता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"मतदान का अधिकार उतना ही सुरक्षित है जितनी मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया।" विशेष गहन पुनरीक्षण के आलोक में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — कथन को नियमों और साक्ष्यों की कसौटी पर परखिए। 2. **प्रस्तावना — अनुच्छेद 326 मताधिकार का वचन देता है, मतदाता सूची उसे पहुँचाती है** — 9 अक्टूबर की फ़ॉर्म 7 की सीमा। 3. **मुख्य भाग — थोक आपत्तियों ने सबूत का भार मतदाताओं पर डाल दिया** — मूल्य-वर्धन: विजयपुरा में जाली मृत्यु प्रमाणपत्र; पश्चिम बंगाल में 37.05 लाख अपीलें लंबित। 4. **मुख्य भाग — नियम 19 और 20 पहले से सुनवाई माँगते हैं** — फ़्लोचार्ट: फ़ॉर्म 7, नोटिस, सुनवाई, आदेश, अपील। 5. **मुख्य भाग — फिर भी स्वच्छ सूची के लिए नाम हटाना ज़रूरी है** — मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों पर आयोग के आँकड़े। 6. **निष्कर्ष — कारणों का प्रकाशन और मिथ्या आपत्तियों पर दंड** — धारा 31 को केवल उद्धृत न किया जाए, प्रयोग में भी लाया जाए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. ERO के रूप में आपको एक ही मोहल्ले के विरुद्ध चार व्यक्तियों से 40 फ़ॉर्म 7 मिलते हैं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं प्रति आपत्तिकर्ता दस फ़ॉर्म स्वीकार करूँगा, 2023 की नियमावली के अनुसार स्वयं सत्यापन करूँगा, और नामित हर मतदाता को सूचित करूँगा। दोनों पक्षों को सुने बिना कोई नाम नहीं हटेगा। जालसाज़ी के मामले पुलिस को सौंपूँगा और धारा 31 के अंतर्गत कार्रवाई करूँगा।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

तीनों ख़बरें सुर्ख़ियों की नहीं, भीतरी नलसाज़ी की हैं। रेपो दर बढ़ाने का असर तब तक कम रहता है जब तक अधिशेष नकदी रातोंरात के पैसे को सस्ता बनाए रखती है; इसीलिए RBI ने दैनिक आरक्षित-निधि नियम कस दिया है। किसी राज्य की उधार-सीमा और कर-हिस्सेदारी उस GDP आँकड़े पर टिकी है जिसे हर राज्य अपने ढंग से संकलित करता है, इसलिए MoSPI साझा जाँच चाहता है। और जिस निवेशक को भारतीय अदालतों में पाँच साल इंतज़ार करना पड़े, उसके लिए संधि का कोई ख़ास अर्थ नहीं रह जाता; इसलिए भारत प्रतीक्षा अवधि घटा रहा है, पर विनियमन का अपना अधिकार भी बचाए रख रहा है।

2.1 अधिशेष चलनिधि सोखने के लिए RBI ने दैनिक CRR की न्यूनतम सीमा 90% से बढ़ाकर 99% की

मुद्दा मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और RBI (कड़ी 10) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

> *अब तक की कहानी 7 अक्टूबर को मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की, जो फ़रवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी है, और 'अंशांकित सख़्ती' का रुख़ अपनाया।*

समाचार (THE NEWS) मुंबई, 9 अक्टूबर। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act) की धारा 42(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना RBI/2026-27/290 के अनुसार, 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित बैंकों को प्रतिदिन जितना नकद आरक्षित अनुपात (CRR) शेष रखना होगा, वह अपेक्षित राशि के 90% से बढ़ाकर 99% कर दिया गया है। CRR, जो अभी 3% है, जमा राशि का वह हिस्सा है जो बिना ब्याज के RBI के पास रखा जाता है। बैंकों को अब भी पखवाड़े का औसत पूरा करना है, पर अब तक वे कुछ दिन 90% और कुछ दिन लगभग 110% रख सकते थे; यह छूट अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, ऐसा जना स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक के एक ट्रेज़री प्रमुख ने ET को बताया। ET के अनुसार सोखी जाने वाली अधिशेष राशि लगभग ₹4 लाख करोड़ है; द हिंदू (PTI) ने 8 अक्टूबर को यह आँकड़ा ₹3.88 लाख करोड़ बताया। गवर्नर संजय मल्होत्रा CRR की दर बढ़ाने को स्वयं "सबसे कम पसंदीदा" उपाय कह चुके हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

तेल $100 से ऊपर होने से मुद्रास्फीति बढ़ी → MPC ने रेपो दर 5.50% की → ₹4 लाख करोड़ का अधिशेष रातोंरात के पैसे को सस्ता रखता है → RBI ने दैनिक CRR सीमा 99% की → रातोंरात की दरें रेपो की ओर चढ़ीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42 CRR को वैधानिक आरक्षित निधि बनाती है** — प्रत्येक अनुसूचित बैंक (RBI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत) को अपनी निवल माँग एवं सावधि देयताओं के CRR-प्रतिशत के बराबर औसत दैनिक शेष RBI के पास रखना होता है, जिसकी गणना पखवाड़े पर की जाती है; कमी रहने पर बैंक दर से जुड़ा दंडात्मक ब्याज लगता है। इसके विपरीत, SLR बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act) की धारा 24 से आता है। 2. **चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) रातोंरात की दरों को एक गलियारे में रखती है** — रेपो दर MPC तय करती है; RBI चलनिधि का प्रबंधन इस तरह करता है कि भारित औसत माँग दर, जो परिचालन लक्ष्य है, उसके आसपास बनी रहे। अप्रैल 2022 से इस गलियारे का निचला छोर स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility) है, जो बिना प्रतिभूति के अधिशेष को सोख लेती है; ऊपरी छोर सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3 में मौद्रिक नीति की परख केवल रेपो दर से नहीं, उपकरणों से भी होती है** — "संसाधनों का संग्रहण" इस बात को समेटता है कि नीति उधार लेने वालों तक कैसे पहुँचती है; CRR, SLR और LAF गलियारा प्रारंभिक परीक्षा के नियमित विषय हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• CRR का निर्धारण RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत होता है; RBI इस पर कोई ब्याज नहीं देता। • CRR पखवाड़े के औसत के रूप में पूरा किया जाता है, और उसके साथ एक अलग दैनिक न्यूनतम सीमा भी होती है। • स्थायी जमा सुविधा (अप्रैल 2022) LAF का निचला छोर है और इसमें किसी प्रतिभूति की ज़रूरत नहीं होती। • भारित औसत माँग दर मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **ऊँची दैनिक सीमा CRR की दर को छुए बिना ही मुद्रा को सख़्त कर देती है** — 90% की सीमा के रहते कोई बैंक अपने फ़ालतू आरक्षित धन को रातोंरात उधार दे सकता था और बाद में कमी पूरी कर सकता था; यह छूट रातोंरात की आपूर्ति बढ़ाती थी और माँग दरों को रेपो से नीचे रखती थी। 99% पर लगभग हर अपेक्षित रुपया रोज़ RBI के पास रहता है, इसलिए मुक्त नकदी घटती है और माँग दर 5.50% की ओर खिसकती है। 2. **2013 की तरह RBI ने उलटा जा सकने वाला उपकरण चुना** — CRR की दर बढ़ाने से जमा

	राशि अनिश्चितकाल के लिए फँस जाती है और, जैसा एक बैंकर ने ET को बताया, इससे CRR से छूट प्राप्त FCNR(B) अंतर्वाह भी चूक जाते। दैनिक सीमा भंडार को नहीं, उतार-चढ़ाव को निशाना बनाती है; ET के सूत्र जुलाई 2013 को याद करते हैं, जब इसे 70% से 99% किया गया था। प्रतिपक्ष: कर-निकासी के दिनों में छोटे बैंकों का बफ़र ख़त्म हो जाता है और वे बेकार आरक्षित धन जमा करके रख सकते हैं। 3. **दृष्टि — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: नकदी सोखने से रुपये की रक्षा होती है, पर क़र्ज़ महँगा पड़ता है** — सस्ती रुपया-चलनिधि रुपये उधार लेकर डॉलर खरीदना आसान बना देती है; ET के अनुसार RBI की भारी डॉलर-बिक्री के बाद रुपया 96.73 पर बंद हुआ। सस्ती से मुद्रा को सहारा मिलता है, पर उधार लेने की लागत बढ़ती है। एक विवेकशील अधिकारी इसे अस्थायी मानकर स्वीकार करेगा, बशर्ते RBI अधिशेष समाप्त होने के बाद इससे बाहर निकलने का संकेत दे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	केवल रेपो दर नहीं, चलनिधि प्रबंधन ही तय करता है कि मौद्रिक सख़्ती उधार लेने वालों तक पहुँचती है या नहीं। CRR के रखरखाव मानदंडों में RBI के हालिया बदलाव के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — जाँचिए कि चलनिधि के उपकरण नीतिगत दर को बाज़ार तक कैसे पहुँचाते हैं। 2. **भूमिका — ₹4 लाख करोड़ के अधिशेष पर टिकी रेपो दर की बढ़ोतरी** — CRR और दैनिक न्यूनतम सीमा को परिभाषित कीजिए। 3. **अधिशेष नकदी माँग दर को रेपो से नीचे रखती है, इसलिए बढ़ोतरी का असर रिस जाता है** — आरेख बनाइए: CRR सीमा → रातोंरात की नकदी घटी → माँग दर बढ़ी → उधार दरें बढ़ीं। 4. **CRR की दर बढ़ाने से बेहतर हैं उलटे जा सकने वाले उपकरण** — मूल्यवर्धन: जुलाई 2013 की नज़ीर (70% से 99%)। 5. **इस निचोड़ की क़ीमत छोटे बैंकों को चुकानी पड़ती है** — कर-भुगतान के दिनों में अस्थिर माँग दरें। 6. **निष्कर्ष — सख़्ती कीजिए, फिर वापसी का संकेत दीजिए** — अधिशेष समाप्त होते ही सीमा में ढील दीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप एक मझोले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कोषाध्यक्ष हैं; 99% की दैनिक CRR सीमा का प्रबंधन आप कैसे करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं पखवाड़े के औसत को गद्दी मानना छोड़ दूँगा और दैनिक नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान लगाऊँगा, विशेषकर अग्रिम कर की तारीख़ों के आसपास। अधिशेष स्थायी जमा सुविधा में जाएगा, थोड़ा आरक्षित बफ़र रखूँगा और MSF तक पहुँच तैयार रखूँगा, क्योंकि दंडात्मक ब्याज और साख की हानि कुछ आधार अंकों की प्रतिफल-वृद्धि से कहीं भारी पड़ती है।

2.2 2022-23 आधार पर राज्य GDP के आकलन के लिए MoSPI ने साझा व्यय-पक्ष पद्धति का मसौदा रखा

मुद्दा **नया आधार वर्ष: GDP और IIP** (कड़ी 5) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य · स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी: MoSPI भारत के सांख्यिकी तंत्र को नए सिरे से गढ़ रहा है: 2022-23 आधार वर्ष वाली नई GDP श्रृंखला, विनिर्माण में दोहरा अपस्फीतिकरण (डबल डिफ़्लेशन), औद्योगिक उत्पादन का नया आधार और अनौपचारिक इकाइयों के पहले ज़िला-स्तरीय आकलन।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। PIB की विज्ञप्ति के अनुसार, MoSPI के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 2022-23 आधार पर व्यय-पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आकलन के मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए। GSDP, यानी किसी राज्य में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, अभी उत्पादन-पक्ष से आँका जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। व्यय-पक्ष यह जोड़ता है कि कौन खर्च करता है: परिवार (निजी अंतिम उपभोग व्यय, PFCE), सरकार (GFCE), स्थायी निवेश (GFCF), मालसूची, बहुमूल्य वस्तुएँ और निवल निर्यात। अभी कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश PFCE संकलित नहीं करता। ET के अनुसार, राज्य PFCE के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के साथ वाहन (Vahan) की वाहन-बिक्री, CEA के बिजली आँकड़े और RBI के जमा तथा ऋण आँकड़े इस्तेमाल होंगे, और केंद्र का खर्च PFMS के ज़रिये स्थान-वार तय होगा; राज्य-स्तरीय व्यापार को आँकड़े उपलब्ध होने तक टाल दिया गया है। टिप्पणियाँ 28 अक्टूबर तक देनी हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

राज्य GSDP का संकलन उत्पादन-पक्ष से, हर कोई अपने ढंग से, करते हैं → GSDP उधार-सीमा और राजस्व-हस्तांतरण के हिस्से तय करता है → कोई राज्य परिवारों का उपभोग नहीं मापता → आधार वर्ष 2022-23 → साझा व्यय-पक्ष का मसौदा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **अनुच्छेद 293 राज्यों के उधार पर केंद्र को पकड़ देता है** — अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत कोई राज्य अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के भीतर उधार ले सकता है। अनुच्छेद 293(3) के अनुसार जब तक केंद्र का कोई ऋण बकाया है, तब तक नया ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक है, जो प्रत्येक राज्य पर लागू होता है। इसी सहमति के ज़रिये केंद्र हर राज्य की उधार-सीमा GSDP के अनुपात में तय करता है, जिसका लंगर वित्त आयोग के मार्ग पर 3% राजकोषीय घाटा है। 2. **GDP को तीन तरीक़ों से मापा जाता है, जो सिद्धांत रूप में एक-दूसरे से मेल खाने चाहिए** — उत्पादन दृष्टिकोण सकल मूल्यवर्धन को जोड़ता है; आय दृष्टिकोण मज़दूरी, किराया, ब्याज और लाभ को जोड़ता है; व्यय दृष्टिकोण अंतिम खर्च को जोड़ता है, C + G + I + (X − M)। राष्ट्रीय स्तर पर NSO इनके बीच के अंतर को 'विसंगतियों' के रूप में दिखाता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3 का मापन GS2 के संघीय वित्त से मिलता है** — GS2 का "संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ" और GS3 का "संसाधनों का संग्रहण" एक ही हर (भाजक) साझा करते हैं: GSDP।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● GSDP का संकलन प्रत्येक राज्य का अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय करता है; राष्ट्रीय लेखे MoSPI के अधीन NSO तैयार करता है। ● PFCE में परिवारों तथा परिवारों की सेवा करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं का खर्च आता है। ● अनुच्छेद 293(3): जिस राज्य पर केंद्र का कोई भी ऋण बकाया है, उसे नया उधार लेने के लिए केंद्र की सहमति चाहिए। ● 16वाँ वित्त आयोग (2026–31) आय-दूरी को 42.5% भार देता है, यानी किसी राज्य की प्रति व्यक्ति GSDP का सबसे धनी राज्य से अंतर; 15वें आयोग ने 45% दिया था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **साझा पद्धति इसलिए मायने रखती है कि GSDP केवल आँकड़ा नहीं, पैसा है** — उधार की सीमाएँ GSDP का प्रतिशत होती हैं, इसलिए बढ़ा-चढ़ाकर आँकी गई GSDP उधार की गुंजाइश खरीद लेती है। वित्त आयोग के सूत्र में आय-दूरी उन राज्यों को पुरस्कृत करती है जिनकी प्रति व्यक्ति GSDP सबसे धनी राज्य से बहुत नीचे है, इसलिए वही संख्या हस्तांतरण को भी आकार देती है। खर्च-पक्ष का आकलन एक स्वतंत्र प्रति-जाँच है, जिससे उत्पादन के आँकड़ों को फुलाना कठिन हो जाता है। 2. **राज्य-दर-राज्य परिवारों का खर्च मापना ही कठिन हिस्सा है** — माँग के सबसे बड़े हिस्से PFCE के बिना कोई राज्य यह नहीं बता सकता कि उसकी वृद्धि उपभोक्ताओं से आई, सरकार से या निवेश से। मसौदा इस कमी को सर्वेक्षणों और वाहन पंजीकरण तथा बिजली के उपयोग जैसे प्रतिनिधि संकेतकों से भरता है। प्रतिपक्ष: ये संकेतक ग्रामीण और अनौपचारिक खर्च की तुलना में शहरी और औपचारिक खर्च को बेहतर पकड़ते हैं, और राज्यों के आर-पार की खरीद को किसी राज्य के खाते में डालना कठिन है, इसीलिए राज्य-स्तरीय व्यापार टाला गया है। 3. **दृष्टि — केंद्र और राज्य: मानकीकरण राज्यों के काम तभी आता है जब उनके सांख्यिकी कार्यालय उसे अपनाएँ** — जिन संख्याओं से राज्यों का पैसा तय होता है, उनके लिए दिल्ली में लिखी गई पद्धति केंद्रीय नियंत्रण जैसी दिख सकती है। परंतु मसौदा टिप्पणियों के लिए खुला है, राज्यों के आकलनों की जगह नहीं लेता, उनके पूरक के रूप में आता है, और राज्य निदेशालयों की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। एक विवेकशील अधिकारी इसका समर्थन केंद्र–राज्य की संयुक्त तकनीकी समिति के ज़रिये करेगा, क्योंकि तुलनीय आँकड़े वित्त आयोग के सौदेबाज़ी में ग़रीब राज्यों की रक्षा करते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आकलन की पद्धति भारत में राजकोषीय संघवाद के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? व्याख्या कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — व्याख्या कीजिए** — कार्य-कारण संबंधों को स्पष्ट रूप से रखिए। 2. **भूमिका — GSDP राज्यों के वित्त का हर है** — MoSPI के मसौदे पर एक पंक्ति। 3. **GSDP उधार की गुंजाइश और हस्तांतरण के हिस्से तय करता है** — अनुच्छेद 293(3) और 3% की सीमा; मूल्यवर्धन: 16वें वित्त आयोग में आय-दूरी का भार 42.5% है (15वें में 45%)। आरेख बनाइए: GSDP → उधार सीमा और हस्तांतरण का हिस्सा। 4. **खर्च-पक्ष की प्रति-जाँच अतुलनीय आकलनों पर अनुशासन लगाती है** — आज कोई भी राज्य PFCE संकलित नहीं करता।

	5. निष्कर्ष — सांख्यिकी को सहकारी संघवाद की संस्था बनाइए — संयुक्त तकनीकी समिति; सशक्त राज्य निदेशालय।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. किसी राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक के रूप में आप नई पद्धति को अपनाने की तैयारी कैसे करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं पहले यह नक्शा बनाऊँगा कि हमारे पास कौन-से आँकड़े पहले से हैं, जैसे Vahan पंजीकरण, बिजली की बिक्री और ख़ज़ाने के लेखे, और 28 अक्टूबर से पहले ठोस टिप्पणियाँ दाख़िल करूँगा। मैं खर्च-पक्ष का आकलन उत्पादन-पक्ष के आकलन के बग़ल में प्रकाशित करूँगा और अंतर की व्याख्या दूँगा, क्योंकि जो राज्य अपनी गणना खोलकर दिखाता है, उसकी साख वित्त आयोग और ऋणदाताओं के सामने बनती है।

2.3 भारत नया मॉडल तैयार करने में जुटा है; सऊदी द्विपक्षीय निवेश संधि में स्थानीय उपचार की प्रतीक्षा घटकर दो वर्ष

मुद्दा द्विपक्षीय निवेश संधियाँ और मध्यस्थता (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी · बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी: वित्त मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के साथ नई द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के बाद संशोधित मॉडल BIT मंत्रिमंडल को भेजा है; जिसमें कराधान को निवेशक–राज्य मध्यस्थता से बाहर रखा गया है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि भारत अपना निवेश संधि-तंत्र फिर से खड़ा कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल नए द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) ढाँचे को "शीघ्र" मंज़ूरी देगा; साल के अंत तक 4–5 समझौतों की उम्मीद है। नया है भारत–सऊदी अरब BIT, जो पिछले सप्ताह अंतिम रूप में आया: सऊदी निवेशक भारत में उपचार खोजने के दो वर्ष बाद अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में जा सकता है, जबकि 2024 की UAE संधि में यह तीन वर्ष और 2015 के मॉडल BIT में पाँच वर्ष है (IE इसे 2016 का मॉडल कहता है)। स्थानीय उपचारों के समाप्त करने (ELR) का यह नियम निवेशकों को पहले भारतीय अदालतों में जाने को बाध्य करता है। एक अधिकारी ने कहा कि दो वर्ष निवेशक–राज्य विवाद निपटान (ISDS) तक "बढ़ी हुई पहुँच" देते हैं, साथ ही "राज्य के विनियमन के अधिकार" को सुरक्षित रखते हैं। साझेदार एक वर्ष चाहते थे; भारत ने मना कर दिया। सऊदी शर्तें केवल IE की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)
वाइट इंडस्ट्रीज़ (2011) जैसे प्रतिकूल पंचाट → पाँच वर्ष की प्रतीक्षा वाला 2015 का मॉडल BIT → 2016-17 में पुरानी BIT का समापन → अंतर्वाह धीमे पड़े → नया मॉडल, दो वर्ष वाला सऊदी समझौता

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. वाइट इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत (2011) ने अदालती देरी को संधि का उल्लंघन बना दिया** — एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का कोल इंडिया के विरुद्ध पंचाट-निर्णय वर्षों तक भारतीय अदालतों में अप्रवर्तित पड़ा रहा। भारत–ऑस्ट्रेलिया BIT के अंतर्गत एक अधिकरण ने 2011 में निर्णय दिया कि भारत ने दावे रखने के "प्रभावी साधन" देने से इनकार किया, जो मानक सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र खंड के ज़रिये भारत–कुवैत BIT से लिया गया था। यह भारत की किसी BIT में पहली हार थी। **2. 2015 के मॉडल BIT ने संरक्षण सीमित किया और पाँच वर्ष की प्रतीक्षा थोपी** — यह निवेश की परिभाषा उद्यम के आधार पर करता है, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र खंड हटा देता है, कराधान को बाहर रखता है और ISDS से पहले पाँच वर्ष के स्थानीय उपचार की माँग करता है; ISDS वह प्रक्रिया है जिसमें विदेशी निवेशक मेज़बान राज्य पर अंतरराष्ट्रीय अधिकरण में मुक़दमा करता है। इसके बाद भारत ने अपनी पुरानी BIT की समाप्ति की सूचना दे दी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. GS2 के "द्विपक्षीय समझौते" GS3 के "निवेश मॉडलों" से मिलते हैं** — वोडाफ़ोन और केयर्न विवादों के बाद ISDS और कर-संप्रभुता सजीव मुद्दे बन गए।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• स्थानीय उपचारों के समाप्त करने (ELR) के नियम में विदेशी निवेशक को अंतरराष्ट्रीय दावे से पहले मेज़बान राज्य की अदालतों या प्रशासनिक निकायों में निवारण माँगना होता है। • भारत का 2015 का मॉडल BIT निवेश की उद्यम-आधारित परिभाषा अपनाता है और कराधान संबंधी उपायों को बाहर रखता है। • भारत ICSID अभिसमय का पक्षकार नहीं है। • ग्रीनफ़ील्ड निवेश विदेश में नया उद्यम खड़ा करता है; ब्राउनफ़ील्ड निवेश किसी मौजूदा उद्यम को खरीदता या बढ़ाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. दो वर्ष 2015 से मापी-तुली वापसी हैं, संप्रभुता का समर्पण नहीं** — भारतीय अदालतों में पाँच

	वर्ष ने संधि-संरक्षण को काफ़ी हद तक सैद्धांतिक बना दिया था, जो IE के दर्ज किए अनुसार निवेशकों की मूल शिकायत है। दो वर्ष भी भारत को पहले अपने घर में ग़लती सुधारने का अवसर देते हैं, और कर संबंधी अपवाद बना रहता है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के प्रो. प्रभाश रंजन एक से दो वर्ष का एकसमान नियम चाहते हैं; अलग-अलग अवधियों का जमघट संधि-खरीदारी (ट्रीटी शॉपिंग) को न्योता देता है, यानी निवेशक अपना धन सबसे उदार साझेदार के रास्ते भेजने लगते हैं। **2. संधि का आवरण इसलिए मायने रखता है कि भारत ग्रीनफ़ील्ड पूँजी के लिए होड़ में है** — द हिंदू, UNCTAD की व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026 का हवाला देकर, बताता है कि 2020–25 में भारत ने वैश्विक ग्रीनफ़ील्ड निवेश का 5.7% खींचा, जो चीन के 2.8% से दोगुने से भी अधिक है। रिफ़ाइनरियाँ दशकों के लिए पूँजी बाँध देती हैं, इसलिए निवेशक ऐसे नियम-बदलाव के जोखिम की क़ीमत लगाते हैं जिसे चुनौती न दी जा सके। फिर भी IE निवल अंतर्वाह में तीव्र गिरावट दर्ज करता है। **3. दृष्टि — सामरिक स्वायत्तता और साझेदारी : भारत प्रक्रिया में रियायत देता है, नीतिगत गुंजाइश में नहीं** — भारत, दक्षिण अफ़्रीका और इंडोनेशिया ने BIT इसलिए समाप्त कीं कि अधिकरण घरेलू नीति पर सवाल उठाते प्रतीत हुए। भारत अब समय के मामले में, यानी निवेशक कब मुक़दमा कर सकता है, झुक रहा है, पर दायरे में नहीं : कर बाहर रहता है और विनियमन का अधिकार लिखित रूप में दर्ज है। एक विवेकशील अधिकारी इसे सही सौदा कहेगा, बशर्ते भारत धीमे अनुबंध-प्रवर्तन को सुधारे, जो विदेशी मध्यस्थता के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"भारत की नई निवेश संधियाँ प्रक्रियागत रियायतों के बदले सारभूत नीतिगत गुंजाइश हासिल करती हैं।" भारत–सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए** — निवेशक की पहुँच और नीतिगत गुंजाइश को तौलिए; निर्णय पर पहुँचिए। **2. भूमिका — भारत उस BIT-तंत्र को फिर से खड़ा कर रहा है जिसे उसने ध्वस्त किया था** — 2016-17 की समाप्तियों से सऊदी की दो वर्ष की खिड़की तक। **3. छोटी प्रतीक्षा दीर्घकालिक पूँजी के लिए विश्वसनीय संरक्षण लौटाती है** — मूल्यवर्धन : भारत का 5.7% ग्रीनफ़ील्ड हिस्सा (द हिंदू, UNCTAD का हवाला देकर)। **4. सार सुरक्षित रहता है : कर संबंधी अपवाद, विनियमन का अधिकार** — समय-रेखा खींचिए : 2011 का पंचाट → 2015 का मॉडल → 2016-17 की समाप्तियाँ → UAE (तीन वर्ष) → सऊदी (दो)। **5. असमान अवधियाँ संधि-खरीदारी को न्योता देती हैं** — रंजन का एकसमान नियम। **6. निष्कर्ष — एकसमान ढाँचा और तेज़ वाणिज्यिक अदालतें** — विश्वसनीयता घरेलू न्याय पर टिकी है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. संयुक्त सचिव के रूप में आप BIT पर वार्ता कर रहे हैं और साझेदार स्थानीय उपचार की एक वर्ष की खिड़की पर अड़ा है। आप क्या उत्तर देंगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं दो वर्ष को एकसमान मानक के रूप में थामे रखूँगा, क्योंकि एक साझेदार को एक वर्ष देने से बाक़ी सब भी वही माँगेंगे और निवेशक उसी देश के रास्ते धन भेजने लगेंगे। मैं दूसरे आश्वासन दूँगा, जैसे शिकायतों को जल्द निपटाने वाली संयुक्त समिति, और इस समझौते का लेन-देन मंत्रिमंडल के लिए दर्ज करूँगा।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

ग्रामीण रोज़गार गारंटी सूखे की वह चेतावनी-घंटी है जो फ़सल के आँकड़े आने से पहले ही बज उठती है। इस साल मानसून में 13% की कमी है और अल नीनो मज़बूत हो रहा है; ऐसे में सितंबर में काम की माँग का उछलना बताता है कि गाँव अभी से राज्य के सहारे टिके हैं। नए कानून की असली परीक्षा यह है कि अब, जबकि खर्च राज्य भी उठा रहे हैं, पैसा माँग के पीछे-पीछे पहुँचता है या नहीं।

3.1 अल नीनो की आहट के बीच सितंबर में VB-G RAM G के तहत ग्रामीण काम की माँग 25% उछली

मुद्दा ग्रामीण रोज़गार गारंटी (वीबी-जी राम जी) (कड़ी 2) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी- VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने मनरेगा की जगह ली; इसने गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया और अधिकांश राज्यों में लागत की साझेदारी केंद्र–राज्य के बीच 60:40 कर दी। 6 अक्टूबर को इसके तहत 375 अनुमेय कार्य अधिसूचित किए गए।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रारंभिक आँकड़ों से नए ग्रामीण रोज़गार कानून के तहत पहली बार मासिक माँग की तस्वीर सामने आई है। VB-G RAM G के तहत काम माँगने वाले परिवार सितंबर में 25.2% बढ़कर 156 लाख (15.6 मिलियन) हो गए, जबकि अगस्त में यह संख्या 125 लाख और शुरुआती महीने जुलाई में 101 लाख थी। काम माँगने वाले व्यक्ति 154 लाख से बढ़कर 188 लाख हो गए। गारंटीशुदा न्यूनतम दैनिक मज़दूरी ₹300 है। 'काम की माँग' में वे लोग गिने जाते हैं जो गारंटीशुदा काम के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करते हैं; इसलिए माँग-आधारित कानून में यह ग्रामीण संकट का मोटा पैमाना है। अलग से, ET ने खाद्य उद्योग की इस चेतावनी का उल्लेख किया है कि 'सुपर अल नीनो' से 2027 में आपूर्ति का झटका लग सकता है: मानसून में कमी 13% है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सूखा रबी की चना फ़सल के लिए ख़तरा बन गया है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

13% कम मानसून ख़रीफ़ फ़सलों पर चोट करता है → खेती का काम और आय घटती है → परिवार 125 दिन की गारंटी की ओर मुड़ते हैं → काम माँगने वाले परिवार जुलाई के 101 लाख से बढ़कर 156 लाख हो जाते हैं → अल नीनो रबी और 2027 की आपूर्ति के लिए ख़तरा बनता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने मनरेगा, 2005 की जगह ली और खर्च उठाने वाला बदल दिया** — मनरेगा हर उस ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता था जो काम माँगे, और अकुशल मज़दूरी का पूरा बोझ केंद्र उठाता था। 2025 का अधिनियम गारंटी को 125 दिन कर देता है और लागत केंद्र व राज्य के बीच 60:40 में बाँटता है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10), इसलिए माँगे गए हर अतिरिक्त दिन का खर्च राज्यों को उठाना पड़ता है। 2. **अनुच्छेद 41 और 43 काम की गारंटी की संवैधानिक जड़ें हैं** — अनुच्छेद 41, जो एक नीति निदेशक तत्व है, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमा के भीतर काम पाने के अधिकार तथा बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और नि:शक्तता की दशा में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करे; अनुच्छेद 43 निर्वाह मज़दूरी की बात करता है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं (गैर-न्यायोचित) हैं, इसलिए काम को अधिकार का रूप देने के लिए संसद के कानून की ज़रूरत पड़ी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS2 में "इन योजनाओं के कार्य-निष्पादन" पर और GS3 में "समावेशी विकास" पर प्रश्न पूछे जाते हैं** — नए सिरे से गढ़ी गई गारंटी अपने पहले सूखे वर्ष से रूबरू हो रही है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमा के भीतर काम पाने के अधिकार तथा बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और नि:शक्तता की दशा में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करे। ● VB-G RAM G अधिनियम, 2025, जिसने मनरेगा, 2005 की जगह ली, ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है। ● अल नीनो, ENSO (अल नीनो–दक्षिणी दोलन) का उष्ण चरण है, जो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत को गर्म कर देता है और प्राय: भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है। ● चना भारत की मुख्य रबी दलहन है; तुअर (अरहर) ख़रीफ़ की दलहन है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **बढ़ती माँग संकट का संकेत है, पर नई योजना का शुरुआती विस्तार इसे फुला देता है** — निजी काम सूखने पर ही लोग सार्वजनिक काम माँगते हैं, इसलिए एक महीने में 25% की छलाँग आम तौर पर तनाव दर्शाती है। परंतु योजना केवल तीन महीने पुरानी है, और बढ़ोतरी का एक हिस्सा परिवारों के पंजीकरण तथा पंचायतों द्वारा कार्य खोले जाने से आता है। निष्पक्ष आकलन के लिए मनरेगा के इन्हीं महीनों से तुलना और वास्तव में पूरी की गई माँग के आँकड़े चाहिए। 2. **दृष्टि — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: प्रति-चक्रीय गारंटी तभी काम करती है जब धन माँग के पीछे चले** — सूखा पड़ते ही गारंटी अपने आप फैल जाती है। फिर भी, जब

	राज्य 40% खर्च उठा रहे हैं, तो सूखाग्रस्त राज्य पर बिल ठीक तभी बढ़ता है जब उसका राजस्व गिर रहा होता है, और वह पंजीकरण या मज़दूरी भुगतान में देरी करके काम को राशनित कर सकता है। एक विवेकशील अधिकारी जल-सुरक्षा के कार्यों को पहले शुरू करेगा, ताकि आज की राहत कल की सूखा-रोधी क्षमता बन सके। 3. **अल नीनो खाद्य कीमतों के रास्ते भी श्रमिकों तक पहुँचता है, केवल खोए हुए खेती के काम से नहीं** — चीनी विशेषज्ञों ने RBI को भेजे एक नोट में जून–अक्टूबर 2027 में मिल-द्वार (एक्स-मिल) चीनी के ₹50 प्रति किलो से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है, और दालें तथा खाद्य तेल भी महँगे हो सकते हैं। खाद्य कीमतें चढ़ने पर ₹300 की मज़दूरी कम खरीद पाती है, और वह भी ठीक तब जब ज़रूरत बढ़ रही हो; यह ग्रामीण कीमतों के अनुरूप मज़दूरी के पुनरीक्षण के पक्ष में तर्क है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"ग्रामीण रोज़गार गारंटी के तहत काम की माँग अर्थव्यवस्था का सूखे का सबसे ईमानदार पैमाना है।" VB-G RAM G और मँडराते अल नीनो के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए** — दोनों पक्षों को तौलिए, फिर अपना निष्कर्ष दीजिए। 2. **भूमिका — काम माँगने वाले परिवार 25.2% बढ़कर 156 लाख** — इसे 13% कम मानसून से जोड़िए। 3. **मुख्य भाग — निजी काम विफल होने पर माँग बढ़ती है, इसलिए यह संकट को वास्तविक समय में दर्शाती है** — प्रवाह-चित्र: अल नीनो → कमज़ोर मानसून → खेती का काम घटा → माँग बढ़ी। 4. **मुख्य भाग — शुरुआती विस्तार और 60:40 वाले राज्य बजट संकेत को विकृत करते हैं** — मूल्यवर्धन: जुलाई में 101 लाख परिवार। 5. **निष्कर्ष — माँग को अपूर्ण माँग और कीमतों के साथ पढ़ें, और समय पर धन उपलब्ध कराएँ** — केंद्रीय निधि जारी करने के लिए सूखा-आधारित स्वचालित ट्रिगर।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप सूखाग्रस्त ज़िले के कलेक्टर हैं; काम की माँग दोगुनी हो गई है, पर राज्य कहता है कि धन की कमी है। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं हर अनुरोध को दर्ज कर उस पर तारीख़ डलवाऊँगा; माँग को दबाने से संकट केवल छिपता है। पंचायतों की स्वीकृत योजनाओं में जो जल-सुरक्षा के कार्य पहले से हैं, उन्हें खोलूँगा, राज्य को सप्ताह-दर-सप्ताह माँग का अनुमान भेजकर जल्द निधि जारी करने का अनुरोध करूँगा, और मस्टर रोल सार्वजनिक करूँगा।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

एक ही दिन ओस्लो ने उस न्यायाधीश को सम्मानित किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून को गढ़ने में योगदान दिया, और वाशिंगटन ने उसी अदालत को पंगु बनाने की ओर कदम बढ़ाया जिसमें वे कभी न्यायाधीश रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक मानदंड के रूप में मज़बूत है, पर महाशक्तियों के प्रतिरोध के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। भारत अदालत के बाहर खड़ा देख रहा है; यह ऐसी स्थिति है जिस पर पुनर्विचार होना चाहिए, उसे त्यागना नहीं।

4.1 नवी पिल्लै को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार, उसी दिन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए

मुद्दा International law under pressure (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित · रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

> *अब तक की कहानी: अमेरिका और इज़राइल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार-क्षेत्र को नहीं मानते; इज़राइली नेताओं के विरुद्ध उसके वारंट जारी होने के बाद अमेरिका ने उसके न्यायाधीशों और अभियोजकों पर प्रतिबंध लगा दिए।*

समाचार (THE NEWS) ओस्लो / वाशिंगटन। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 9 अक्तूबर को दक्षिण अफ़्रीकी विधिवेत्ता नवनीतम "नवी" पिल्लै (85 वर्ष) को "शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए" वर्ष 2026 का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की, जैसा कि समिति की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। डरबन के एक भारतीय तमिल परिवार में जन्मीं पिल्लै ने नेल्सन मंडेला का बचाव किया था, वे रवांडा के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में न्यायाधीश रहीं और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख भी। इस समय वे म्यांमार के विरुद्ध नरसंहार के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की तदर्थ न्यायाधीश हैं। कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने स्वयं ICC पर प्रतिबंध लगा दिए। यह उसके 13 न्यायाधीशों और अभियोजकों पर पहले से लागू प्रतिबंधों के अतिरिक्त है, और इससे न्यायालय की सेवा करने वाली कंपनियाँ भी दंडित हो सकती हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "या तो ICC अपनी धमकियाँ बंद करेगा, या हम ICC को ही समाप्त कर देंगे।" संयुक्त राष्ट्र समाचार के अनुसार एंटोनियो गुटेरेस ने इसे "गंभीर आघात" बताया।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

नूरेमबर्ग मुक़दमे → 1994 में रवांडा के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण → 2002 में स्थायी ICC → इज़राइली नेताओं के विरुद्ध ICC वारंट पर उसके अधिकारियों पर अमेरिकी प्रतिबंध → एक ही दिन पिल्लै को नोबेल और न्यायालय पर ही प्रतिबंध

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. ICC एक संधि-आधारित न्यायालय है, जो तभी हस्तक्षेप करता है जब राज्य विफल रहें** — रोम संविधि (Rome Statute) 1998 में अपनाई गई और 2002 में लागू हुई; न्यायालय हेग में स्थित है और नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रमण के अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाता है। पूरकता (complementarity) के सिद्धांत के अनुसार वह तभी कार्रवाई करता है जब कोई राज्य वास्तविक अभियोजन के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हो। **2. ICJ राज्यों के बीच न्याय करता है; भारत ICC से बाहर है** — अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और वह राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। भारत रोम संविधि का पक्षकार नहीं है; उसे सुरक्षा परिषद की मामले सौंपने और स्थगित करने की शक्ति पर तथा ऐसे अभियोजक पर आपत्ति है जो स्वयं मामले शुरू कर सकता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. दबाव में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ: GS2 का जीवंत विषय** — पाठ्यक्रम में "महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, अभिकरण एवं मंच — उनकी संरचना और अधिदेश" शामिल हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• रोम संविधि 1998 में अपनाई गई और 2002 में लागू हुई; भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। • ICC व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाता है; ICJ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 के अंतर्गत, राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। • रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1994 में की थी। • जब किसी पक्षकार के देश का कोई न्यायाधीश पीठ में न हो, तब ICJ के किसी मामले में तदर्थ न्यायाधीश बैठ सकता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. न्यायालय पर ही प्रतिबंध लगाना उसकी बुनियादी व्यवस्था पर प्रहार है, केवल उसके अधिकारियों पर नहीं** — संस्था के साथ लेन-देन पर रोक उन बैंकों और ठेकेदारों तक पहुँचती है जिनकी हर अदालत को ज़रूरत होती है; इसीलिए रुबियो ने "उसकी कार्य-क्षमता को पंगु बनाने" की बात कही। ET द्वारा बताई गई छह माह की छूट-अवधि इस बात की परीक्षा है कि क्या 125 सदस्य राज्य कोई वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे।

	2. **पुरस्कार राजनीतिक है, पर मानदंड ऐसे ही संकेतों से बढ़ते हैं** — इज़राइल ने इस पुरस्कार को "घृणित हथियारीकरण" कहा। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून उन विचारों के सहारे आगे बढ़ा है जिनके पीछे आरंभ में कोई प्रवर्तन-शक्ति नहीं थी: ICTR के इस निर्णय ने कि बलात्कार नरसंहार का साधन हो सकता है, राज्यों द्वारा इस अपराध को परिभाषित करने का ढंग ही बदल दिया। 3. **दृष्टि — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संपदा: न्यायालय में शामिल हुए बिना नियमों की रक्षा** — जिस न्यायालय को सुरक्षा परिषद दिशा दे सकती है और जो शक्तिशाली देशों को छूट देता है, वह किसी मध्यम शक्ति को आश्वस्त नहीं करता; इसलिए भारत की दूरी का बचाव किया जा सकता है। किंतु भारत को दबाव के विरुद्ध बने नियमों से लाभ होता है और वह स्वयं संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के बिना लगाए गए एकतरफ़ा प्रतिबंधों को अस्वीकार करता है। समझदारी भरा रुख यह है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंधों का विरोध किया जाए और साथ ही अपनी आपत्तियाँ बनाए रखी जाएँ।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर लगाए गए प्रतिबंध दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय महाशक्तियों की सहमति पर निर्भर है। भारत की स्थिति के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए** — देखिए कि शक्ति ICC को किस हद तक सीमित करती है, फिर अपना निर्णय दीजिए। 2. **भूमिका — एक दिन, दो संकेत** — पिल्लै को नोबेल और स्वयं ICC पर प्रतिबंध। 3. **मुख्य भाग — ICC के पास पुलिस नहीं है और उसे राज्यों के सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए प्रतिबंध गहरी चोट करते हैं** — मूल्य-वर्धन: 13 अधिकारी पहले से प्रतिबंधित; रुबियो का "ICC को समाप्त कर देंगे"। 4. **मुख्य भाग — फिर भी मानदंड शक्ति से अधिक टिकते हैं, जैसा ICTR के नरसंहार संबंधी निर्णयों से दिखता है** — दो स्तंभों वाली तालिका बनाइए: ICC (व्यक्ति, संधि) बनाम ICJ (राज्य, संयुक्त राष्ट्र का अंग)। 5. **मुख्य भाग — भारत की आपत्ति अपराधियों को दंडमुक्ति की नहीं, सुरक्षा परिषद के नियंत्रण की है** — पूरकता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 6. **निष्कर्ष — न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा कीजिए, आपत्तियाँ बनाए रखिए** — ICJ का समर्थन कीजिए; न्यायाधीशों पर प्रतिबंधों का विरोध कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति समर्थन दिखाने के लिए ICC में शामिल हो जाना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** अभी नहीं। सुरक्षा परिषद द्वारा मामले सौंपे जाने और बेलगाम अभियोजक को लेकर उसकी चिंताएँ आज भी वैध हैं। भारत ICJ का समर्थन करके, न्यायाधीशों पर प्रतिबंधों का विरोध करके और गंभीर अपराधों पर अपने कानून को सुदृढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय न्याय का साथ दे सकता है, ताकि पूरकता के सिद्धांत के तहत कोई भी मामला भारतीय अदालतों में ही चले।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

लखनऊ इसलिए नहीं डूबा कि लखनऊ में बारिश हुई; वह इसलिए डूबा कि 100 किमी ऊपर की बारिश उस शहर से आ टकराई जिसने उसी ज़मीन पर निर्माण कर लिया जो उसकी नदी की अपनी थी। शहरी बाढ़ योजना की विफलता है, जो कुछ देर से सामने आती है, और तटबंध केवल बिल को नीचे की ओर खिसका देते हैं।

5.1 गोमती का पानी लखनऊ के रिवरफ्रंट में 1982 के बाद सबसे अधिक फैला, 25,000 लोग प्रभावित

मुद्दा **Urban floods and floodplains** (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण · स्वतंत्रता और जवाबदेही

> *अब तक की कहानी: मुंबई (2005) से चेन्नई (2015) तक भारतीय शहर झीलों, नालों और बाढ़ के मैदानों पर निर्माण करने के बाद डूबे हैं, जबकि बाढ़ नियंत्रण मुख्यतः तटबंधों पर टिका रहा।*

समाचार (THE NEWS) लखनऊ, 9 अक्तूबर। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक सप्ताह से अधिक समय से गोमती का पानी उत्तर प्रदेश की राजधानी के कई हिस्सों में भरा है, जिससे लगभग 5,000 परिवार, यानी करीब 25,000 लोग प्रभावित हैं। सबस्टेशन में पानी भर जाने से IIIT लखनऊ ने कक्षाएँ स्थगित कर दीं। प्रमुख सचिव (सिंचाई) अनिल गर्ग ने बाढ़ का कारण ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र (पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर) में, लगभग 100 किमी ऊपर, 22 से 27 सितंबर के बीच सामान्य 15 मिमी के मुक़ाबले करीब 150 मिमी वर्षा को बताया; लखनऊ में जलस्तर 7 अक्तूबर को अचानक बढ़ा। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि इस पैमाने पर रिवरफ्रंट का जलमग्न होना आख़िरी बार 1982 में देखा गया था, और उसने सीतापुर के नैमिष तक तटबंध बनाने की परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। कांग्रेस का आरोप है कि आर्द्रभूमियों और बाढ़ के मैदानों, यानी उस समतल भूमि पर, जहाँ नदी ऊँचे प्रवाह में फैलती है, निर्माण की अनुमति दी गई।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

जलग्रहण क्षेत्र में पाँच दिन में 150 मिमी वर्षा → बाढ़ की लहर 100 किमी नीचे की ओर बढ़ी → बाढ़ के मैदान की कॉलोनियाँ उसके रास्ते में → नाले उलटे बहे → 25,000 प्रभावित; तटबंध प्रस्तावित

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. NDMA के 2010 के दिशा-निर्देश शहरी बाढ़ को नदी की बाढ़ से अलग मानते हैं** — शहरी बाढ़ प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश (Guidelines on Management of Urban Flooding, 2010) मानते हैं कि शहर अधिक तेज़ी से डूबते हैं, क्योंकि पक्की सतहें अपवाह बढ़ा देती हैं और नाले जाम हो जाते हैं। इनमें बाढ़-जोखिम का मानचित्रण, भारी वर्षा के अनुरूप जल-निकासी की रचना, जल-निकायों का संरक्षण और स्थानीय पूर्व चेतावनी की अपेक्षा की गई है। **2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 NDMA से ज़िले तक एक शृंखला बनाता है** — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act) ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में NDMA, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण, कलेक्टर की अध्यक्षता में ज़िला प्राधिकरण और NDRF का गठन किया। 2025 का संशोधन राज्यों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Urban Disaster Management Authorities) बनाने की अनुमति देता है और SDRF को वैधानिक आधार प्रदान करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. GS3 का "आपदा प्रबंधन" GS1 के "शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके उपचार" से मिलता है** — परीक्षा में शहरी बाढ़ के कारणों को केवल वर्षा में नहीं, बल्कि नियोजन में खोजने वाले उत्तर को महत्व मिलता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• केंद्र सरकार ने 1975 में राज्यों को बाढ़ मैदान क्षेत्र-निर्धारण (Flood Plain Zoning) का एक मॉडल विधेयक भेजा था; केवल मुट्ठी भर राज्यों ने उसे लागू किया। • गोमती, गंगा की वर्षा और भूजल से पोषित बाएँ तट की सहायक नदी है, जो पीलीभीत ज़िले से निकलती है और वाराणसी के नीचे गंगा में मिलती है। • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट करता है। • आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) सात वैश्विक लक्ष्य और कार्रवाई की चार प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. बाढ़ 100 किमी दूर शुरू हुई, इसलिए यह वर्षा की घटना जितनी ही चेतावनी की विफलता थी** — वर्षा 27 सितंबर को थम गई, फिर भी लखनऊ में जलस्तर 7 अक्तूबर को ही तेज़ी से बढ़ा: मैदानी इलाक़े में बाढ़ की लहर कई दिन पहले सूचना देती है। इस अग्रिम समय का उपयोग लोगों को हटाने और बैराज के द्वार पहले से नियंत्रित करने में होना चाहिए था, हालाँकि पूरे जलग्रहण क्षेत्र की 150 मिमी वर्षा को कोई द्वार नहीं सोख सकता। **2. दृष्टि — विकास और पर्यावरण: रिवरफ्रंट उस ज़मीन पर बना जो नदी ने केवल उधार दी थी** — चार दशक तक बड़ी बाढ़ न आने से कॉलोनियाँ, मॉल और स्टेडियम बाढ़ के मैदान पर आ जाते

	हैं, और नहरनुमा बनाए गए रिवरफ्रंट उसी पानी को और ऊँचा चढ़ा देते हैं। बढ़ती राजधानी में ज़मीन दुर्लभ है, इसलिए यह द्वंद्व वास्तविक है। एक विचारशील अधिकारी बाढ़ के मैदान के बाहरी हिस्से में नियंत्रित निर्माण की अनुमति देगा, पर अधिसूचित क्षेत्र-निर्धारण के ज़रिये सक्रिय बाढ़ मैदान को खाली रखेगा। 3. **तटबंध बाढ़ के जोखिम को खिसकाता है; उसे मिटाता नहीं** — तटबंध बाढ़ के पानी को बाँधते हैं, नीचे की ओर जलस्तर बढ़ाते हैं और अपने पीछे निर्माण को न्योता देते हैं, इसलिए टूटने पर नुक़सान और बड़ा होता है; भीतर, ऊँचे चढ़ी नदी में गिरने वाले नाले फिर भी उलटे बहते हैं। प्रति-मत यह है कि जो सघन शहर पहले से बाढ़ के मैदान में बसा है वह हट नहीं सकता, इसलिए स्लूस और पंपों वाला तटबंध ही शायद एकमात्र व्यावहारिक कवच हो।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"शहरी बाढ़ वर्षा की विफलता से अधिक भू-उपयोग नियोजन की विफलता है।" लखनऊ में हाल की गोमती की बाढ़ के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — चर्चा कीजिए** — कारण और उपाय स्पष्ट कीजिए, फिर निष्कर्ष दीजिए। 2. **भूमिका — 25,000 प्रभावित; रिवरफ्रंट का जलमग्न होना 1982 के बाद पहली बार** — वर्षा 100 किमी ऊपर हुई थी। 3. **मुख्य भाग — बाढ़ के मैदानों और आर्द्रभूमियों पर निर्माण ने लोगों को नदी के रास्ते में ला खड़ा किया** — मूल्य-वर्धन: 1975 का बाढ़ मैदान क्षेत्र-निर्धारण मॉडल विधेयक; NDMA के 2010 के दिशा-निर्देश। 4. **मुख्य भाग — जो नाले ऊँची चढ़ी नदी में खाली नहीं हो पाते, वे नदी की बाढ़ को शहर के जलभराव में बदल देते हैं** — आरेख: नदी, सक्रिय बाढ़ मैदान, तटबंध और उलटे बहते नाले का निकास-मुख। 5. **मुख्य भाग — चेतावनी का समय मिला, पर उसे कार्रवाई में नहीं बदला गया** — बाढ़ की लहर को पहुँचने में कई दिन लगे। 6. **निष्कर्ष — बाढ़ मैदान का क्षेत्र-निर्धारण करें, नालों को नए सिरे से सुधारें, जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर चेतावनी दें** — तटबंध केवल अंतिम सुरक्षा-पंक्ति के रूप में।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. लखनऊ के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, विकास प्राधिकरण चाहता है कि उसके तटबंध को शीघ्र मंज़ूरी मिले। आप क्या सलाह देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं सघन बस्तियों की सुरक्षा का समर्थन करूँगा, पर शर्त यह होगी कि निचले इलाक़ों पर प्रभाव और नालों के निकास-मुखों का जल-विज्ञानी अध्ययन हो, और स्लूस व पंप लगाए जाएँ। साथ ही, मैं बाढ़ के मैदान का मानचित्रण कराकर उसे नए निर्माण के विरुद्ध अधिसूचित करवाऊँगा, और सिंचाई विभाग के साथ मिलकर जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा पर आधारित चेतावनी तंत्र बनाऊँगा।

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की बाल मोटापे पर पहली मार्गदर्शिका कहती है कि क्लिनिक बचाव की आख़िरी पंक्ति है, पहली नहीं। भारत के लिए, जो अब भी बौनेपन और दुबलेपन से जूझ रहा है, सबक और तीखा है: दोनों समस्याओं को एक ही ख़राब आहार पोसता है, इसलिए समाधान दवाओं में कम और विद्यालयों, खाद्य लेबलों तथा विज्ञापन-नियमों में अधिक है।

6.1 WHO ने बच्चों और किशोरों में मोटापे पर पहली वैश्विक मार्गदर्शिका जारी की, दस वर्ष से कम आयु के लिए दवाओं को अस्वीकार किया

मुद्दा **Child nutrition and obesity** (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार · परंपरा और सामाजिक न्याय

> *अब तक की कहानी: भारत की पोषण नीति लंबे समय से आँगनवाड़ियों के माध्यम से कुपोषण पर केंद्रित रही है, जबकि सस्ता प्रसंस्कृत भोजन अधिक वज़न और मधुमेह को लगातार कम उम्र में पहुँचा रहा है।*

समाचार (THE NEWS) जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी समाचार विज्ञप्ति के अनुसार 7 अक्तूबर को बच्चों और किशोरों में मोटापे पर अपनी पहली वैश्विक मार्गदर्शिका जारी की। 2024 में 5-19 वर्ष आयु वर्ग के 17 करोड़ लोग मोटापे के साथ जी रहे थे, जिनमें 7 करोड़ बच्चे 5-9 वर्ष के थे, और 1990 से इसका प्रसार चार गुना होकर 2% से 8% हो गया है। WHO मोटापे को "एक दीर्घकालिक, बार-बार लौटने वाला रोग" कहता है। पहली पंक्ति के उपाय के रूप में संरचित आहार, शारीरिक गतिविधि और व्यवहार कार्यक्रमों की पुरज़ोर सिफ़ारिश की गई है। नौ वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई दवा, बैरियाट्रिक सर्जरी (पेट घटाने वाले ऑपरेशन) या उपकरण नहीं होने चाहिए; 10-19 वर्ष वालों के लिए दवाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब पर्यवेक्षित जीवनशैली कार्यक्रम विफल हो जाए, और सर्जरी केवल गंभीर मोटापे में कड़ी शर्तों के साथ। इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादकीय में कहा गया है कि भारत एक साथ कुपोषण और मोटापे का सामना कर रहा है, और जंक फ़ूड के विज्ञापनों पर अंकुश तथा पौष्टिक भोजन तक बेहतर पहुँच की ज़रूरत बताई गई है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सस्ता प्रसंस्कृत भोजन और कम खेलकूद → 1990 से बाल मोटापा चार गुना → वज़न घटाने की दवाएँ डॉक्टरों को लुभाती हैं → WHO ने जीवनशैली-प्रथम नियम तय किए → भारत को कुपोषण और मोटापे से एक साथ लड़ना होगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **FSSAI विद्यालयों में और उनके आसपास जंक फ़ूड पर रोक लगाता है** — खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act) के अंतर्गत बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन) विनियम, 2020 विद्यालय की कैंटीनों में और विद्यालय के द्वार से 50 मीटर के भीतर उच्च वसा, नमक या शर्करा (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाते हैं। 2. **पोषण अभियान और ईट राइट इंडिया नीति की दो भुजाएँ हैं** — पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू हुआ; यह बौनेपन, कुपोषण और रक्ताल्पता को लक्ष्य करता है और अब मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा है। ईट राइट इंडिया (Eat Right India), जिसे FSSAI 2018 से चला रहा है, सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ आहार को बढ़ावा देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **युवाओं में जीवनशैली जनित रोग: GS2 का उभरता स्वास्थ्य विषय** — पाठ्यक्रम में "स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े विषय" तथा "गरीबी और भूख से जुड़े विषय" का स्पष्ट उल्लेख है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● WHO मोटापे को दीर्घकालिक, बार-बार लौटने वाला रोग कहता है; 5-19 वर्ष की आयु में इसे WHO के वृद्धि-मानकों के विरुद्ध आयु के अनुसार BMI से आँका जाता है। ● 2020 के FSSAI विद्यालय-भोजन विनियम विद्यालय के द्वार से 50 मीटर के भीतर HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाते हैं। ● पोषण अभियान 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ● सतत विकास लक्ष्य (SDG) का सूचक 2.2.2 पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण को दुबलेपन और अधिक वज़न, दोनों रूपों में मापता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **दोहरा बोझ एक ही समस्या के दो चेहरे हैं** — ग़रीब घर का बच्चा आयु के हिसाब से नाटा होकर भी वज़न बढ़ा सकता है, क्योंकि सस्ते पैकेटबंद नमकीन-मिठाई कैलोरी तो देते हैं पर प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं। 2021 की एक PIB विज्ञप्ति के अनुसार NFHS-5 में NFHS-4 की तुलना में बौनापन केवल 38% से 36% और दुबलापन 21% से 19% ही घटा है। जो कार्यक्रम केवल कैलोरी जोड़ता है, वह दूसरे चेहरे को और बिगाड़ सकता है। 2. **दवाओं पर WHO की सावधानी ग़रीब देशों को महँगे शॉर्टकट से बचाती है** — वज़न घटाने की नई दवाएँ महँगी हैं और अक्सर वर्षों तक लेनी पड़ती हैं; उन्हें पहले आज़माने से खान-पान के परिवेश की समस्या जीवन भर के दवा-बिल में बदल जाती है। इंडियन अकादमी ऑफ़

	पीडियाट्रिक्स की 2023 की मार्गदर्शिका पहले से कहती है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के मोटे बच्चों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और फैटी लिवर की जाँच हो, जो सुरक्षा-जाल है, रोकथाम का विकल्प नहीं। 3. **दृष्टि — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: केवल बच्चे को नहीं, खान-पान के परिवेश को नियंत्रित कीजिए** — जागरूकता अभियान और क्लिनिक जल्दी नतीजे दिखाते हैं; विज्ञापन, लेबल और कैंटीन के नियम धीमे हैं और उद्योग उनका विरोध करता है, फिर भी करोड़ों बच्चे क्या खाते हैं, यह केवल वही बदलते हैं। एक विचारशील अधिकारी 50 मीटर के नियम को अभी लागू करेगा और पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी लेबल के लिए दबाव बनाएगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत को कुपोषण और बाल मोटापे से एक साथ निपटना होगा। बाल मोटापे पर WHO की पहली मार्गदर्शिका के प्रकाश में परीक्षण कीजिए कि केवल नैदानिक उपाय क्यों विफल होगा। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — कारणों की पड़ताल कीजिए; दिखाइए कि क्लिनिक क्यों अपर्याप्त हैं। 2. **भूमिका — कुपोषण का दोहरा बोझ** — WHO का 17 करोड़ का आँकड़ा और उसका जीवनशैली-प्रथम नियम। 3. **मुख्य भाग — एक ही ख़राब आहार बौनेपन और मोटापे, दोनों को बढ़ाता है** — मूल्य-वर्धन: NFHS-5 में बौनापन 36%; चक्र बनाइए: सस्ता प्रसंस्कृत भोजन → छिपी भूख के साथ अतिरिक्त कैलोरी → बौनापन और मोटापा साथ-साथ। 4. **मुख्य भाग — दवाएँ और सर्जरी महँगी हैं और WHO ने दस वर्ष से कम आयु के लिए इन्हें अस्वीकार किया है** — सुरक्षा-जाल के रूप में IAP 2023 की जाँच-मार्गदर्शिका का उल्लेख कीजिए। 5. **मुख्य भाग — असली उपाय स्वास्थ्य क्षेत्र से बाहर हैं: विद्यालय, लेबल, विज्ञापन** — FSSAI के 2020 के विद्यालय-नियम। 6. **निष्कर्ष — दोनों बोझों के लिए एक पोषण मिशन** — पोषण अभियान और खाद्य विनियमन को मिलाइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. ज़िला कलेक्टर के रूप में आप पाते हैं कि शहर के हर विद्यालय-द्वार पर पैकेटबंद नमकीन की दुकानें भीड़ लगाए हैं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी से 50 मीटर के HFSS नियम को पहले नोटिस देकर और बार-बार उल्लंघन पर जुर्माने के साथ लागू करवाऊँगा। मैं विद्यालयों से स्वस्थ कैंटीन और रोज़ खेलकूद की व्यवस्था करने को कहूँगा, और विद्यालय स्वास्थ्य जाँच के ज़रिये बच्चों में कम वज़न और अधिक वज़न, दोनों की पहचान कराऊँगा।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

भारत में ऐप्पल पे का देर से आना किसी गैजेट की नहीं, विनियमन की कहानी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सुरक्षा का वांछित परिणाम तय करके और साधन चुनने की छूट कंपनियों को देकर भुगतान को उँगलियों के निशान और चेहरे के लिए खोल दिया है, जबकि जवाबदेही बैंकों पर बनाए रखी है। अब परीक्षा यह है कि क्या यह जवाबदेही उन फ़ोन-निर्माताओं तक पहुँचती है जिनके हाथ में चाबियाँ हैं।

7.1 RBI के प्रमाणीकरण नियम प्रौद्योगिकी को नहीं, परिणामों को विनियमित करते हैं: OTP, ऐप्पल पे और धोखाधड़ी का प्रश्न

मुद्दा साइबर धोखाधड़ी और 'डिजिटल अरेस्ट' (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय · बाज़ार और राज्य

> *अब तक की कहानी: NCRB ने 2024 में साइबर अपराध के 1,01,928 मामले दर्ज किए। SPIR 2026 सर्वेक्षण में लगभग चार में से तीन पीड़ितों को कुछ भी वापस नहीं मिला।*

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। ऐप्पल पे 30 सितंबर को भारत पहुँचा, अपने वैश्विक आगमन के 12 वर्ष बाद; असली कहानी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की है, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स में पूर्व उपभोक्ता मामले सचिव रोहित कुमार सिंह का तर्क है। सितंबर 2025 के RBI के डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण तंत्र संबंधी निर्देश (Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions Directions), जो अप्रैल से लागू हैं, द्वि-कारक प्रमाणीकरण बनाए रखते हैं पर अनुमत कारकों का दायरा बढ़ाते हैं, जिसमें फ़ोन में अंतर्निहित बायोमेट्रिक भी है, और चूक होने पर कार्ड जारीकर्ताओं को ग्राहकों के प्रति जवाबदेह ठहराते हैं। सिंह के शब्दों में RBI ने "साधन तय करने के बजाय परिणाम को विनियमित करना चुना", जिससे यह व्यावहारिक नियम समाप्त हो गया कि कार्ड भुगतान के लिए एक बार प्रयुक्त पासवर्ड (OTP) चाहिए ही। NPCI ने अक्तूबर 2025 में UPI के लिए डिवाइस पर बायोमेट्रिक की अनुमति दी; जून में 61.1 करोड़ से अधिक UPI भुगतान, जिनका मूल्य ₹25,416 करोड़ था, उँगली के निशान या चेहरे से अधिकृत हुए। ऐप्पल पे अभी रूपे या UPI को समर्थन नहीं देता, जबकि UPI डिजिटल भुगतान की लगभग 84% मात्रा वहन करता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

एक अतिरिक्त कारक, व्यवहार में OTP, चलन बन जाता है → ठग छह अंकों के कोड की फ़िशिंग करते हैं → वैकल्पिक प्रमाणीकरण पर RBI का 2024 का मसौदा → 2025 के निर्देश परिणाम और जारीकर्ता की जवाबदेही तय करते हैं → बायोमेट्रिक UPI और ऐप्पल पे का आगमन

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	**1. भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 RBI को भुगतान संबंधी शक्तियाँ देता है** — भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act) RBI को भुगतान प्रणालियों का विनियामक बनाता है; उसकी अनुमति के बिना कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं चला सकता, और इसी से NPCI UPI तथा रूपे का संचालन करता है। धारा 18 RBI को प्रणाली के प्रतिभागियों को निर्देश जारी करने देती है, जो प्रमाणीकरण नियमों का आधार है। **2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डेटा और सुरक्षा चूक की जवाबदेही तय करता है** — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 43A के अनुसार संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा, जैसे पासवर्ड या बायोमेट्रिक, संभालने वाली कोई निगमित संस्था यदि लापरवाह सुरक्षा के कारण हानि होने दे तो उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। ग्राहक देयता पर RBI का 2017 का परिपत्र यह जोड़ता है कि तीन कार्य-दिवसों के भीतर तृतीय-पक्ष धोखाधड़ी की सूचना देने वाले ग्राहकों की देयता शून्य होगी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	**1. डिजिटल भुगतान की सुरक्षा GS3 की दो पंक्तियों में आती है** — पाठ्यक्रम में "सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता" तथा "साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें" का उल्लेख है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• द्वि-कारक प्रमाणीकरण में दो अलग श्रेणियों से प्रमाण चाहिए: आप जो जानते हैं (PIN), आपके पास जो है (फ़ोन) या आप जो हैं (उँगली का निशान)। • टोकनीकरण (Tokenisation) कार्ड नंबर की जगह एक विशिष्ट टोकन रख देता है, ताकि व्यापारी असली कार्ड विवरण कभी संग्रहीत न करें। • जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण अतिरिक्त प्रमाण तभी माँगता है जब लेन-देन डिवाइस, स्थान, राशि या व्यवहार के आधार पर असामान्य लगे। • UPI और रूपे का संचालन करने वाले NPCI को RBI ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अधिकृत किया है। • RBI के 2017 के नियमों के अनुसार तीन कार्य-दिवसों के भीतर सूचित की गई तृतीय-पक्ष धोखाधड़ी पर ग्राहक की देयता शून्य होती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. OTP ने धोखाधड़ी को आसान बनाया क्योंकि वह एक अकेला, साझा किया जा सकने वाला**

	रहस्य था — सिंह के अनुसार "आपका खाता बंद कर दिया जाएगा" जैसा हर संदेश एक ही छह अंकों का कोड निकलवाने के लिए होता है। फ़ोन पर जाँचा गया उँगली का निशान फ़ोन-कॉल पर बोलकर नहीं बताया जा सकता, और जोखिम-आधारित जाँच नए डिवाइस से आए भुगतान को चिह्नित कर सकती है। साधनों के बजाय परिणाम और जवाबदेही तय करने से सुरक्षा-उपाय हमलों के साथ-साथ विकसित हो सकते हैं। 2. **डिवाइस-निर्माता सुरक्षा-शृंखला की कड़ी बन जाते हैं** — जब चेहरे की जाँच फ़ोन करता है, तो कुछ वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म एक अहम कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। सिंह उनके सुरक्षित हार्डवेयर का स्वागत करते हैं पर संकेंद्रण के प्रति सचेत करते हैं, और कहते हैं कि जारीकर्ताओं को अपने प्लेटफ़ॉर्म साझेदारों को भी उसी मानक पर कसना होगा। परिणाम-आधारित नियम तभी काम करते हैं जब जवाबदेही नीचे तक पूरी शृंखला में पहुँचे। 3. **दृष्टि — नवाचार और सुरक्षा उपाय : समावेशन का अर्थ विकल्प है, कोई एक थोपा हुआ द्वार नहीं** — उँगली के निशान उम्र और हाथ के काम से घिस जाते हैं, और हर नागरिक के पास सुरक्षित बायोमेट्रिक वाला फ़ोन नहीं होता। सिंह का तर्क है कि बायोमेट्रिक को PIN और OTP का पूरक होना चाहिए, प्रतिस्थापन नहीं। समझदार विनियामक कई सुरक्षित द्वार खुले रखता है और आग्रह करता है कि UPI और रूपे वैश्विक वॉलेटों के भीतर भी चलें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	तेज़ी से बदलती प्रौद्योगिकी के लिए निर्धारित नियमों की तुलना में परिणाम-आधारित विनियमन अधिक उपयुक्त है। डिजिटल भुगतान के प्रमाणीकरण पर RBI के 2025 के निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — मूल्यांकन कीजिए** — गुण और सीमाएँ तौलिए; निष्कर्ष दीजिए। 2. **भूमिका — OTP की अनिवार्यता से परिणाम-आधारित नियमों तक** — ऐप्पल पे का आगमन इसका तात्कालिक कारण। 3. **मुख्य भाग — परिणाम-आधारित नियम सुरक्षा-उपायों को विकसित होने देते हैं और जवाबदेही जारीकर्ताओं पर डालते हैं** — मूल्य-वर्धन : जून में 61.1 करोड़ बायोमेट्रिक UPI भुगतान; प्रवाह-चित्र बनाइए : उपयोगकर्ता → डिवाइस बायोमेट्रिक → जारीकर्ता की जोखिम जाँच → भुगतान, और दिखाइए कि जवाबदेही कहाँ है। 4. **मुख्य भाग — किंतु वे शक्ति डिवाइस-निर्माताओं में केंद्रित करते हैं और लोगों को बाहर भी कर सकते हैं** — घिसे उँगली के निशान, साधारण फ़ोन। 5. **निष्कर्ष — परिणाम, साथ में विकल्प और अंतर-संचालनीयता** — PIN और OTP को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बनाए रखिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. एक बैंक के शिकायत अधिकारी के रूप में, एक किसान कहता है कि उँगली के निशान से हुए एक ऐसे भुगतान ने उसका खाता ख़ाली कर दिया जो उसने किया ही नहीं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं उस माध्यम को अवरुद्ध करूँगा और शिकायत का समय दर्ज करूँगा, क्योंकि RBI के नियमों के अंतर्गत तुरंत सूचना देने से उसकी देयता सीमित होती है। भुगतान असली था, यह सिद्ध करना बैंक का काम है, इसलिए मैं डिवाइस और प्रमाणीकरण के लॉग निकलवाऊँगा और यदि वे सिद्ध न कर सकें तो राशि वापस जमा करूँगा।

8. समाज (Society)

प्रतियोगी परीक्षा एक वादा है कि सीट या नौकरी का फ़ैसला मेहनत करेगी, पैसा या पहुँच नहीं। पेपर लीक यह वादा एक साथ लाखों अभ्यर्थियों के लिए तोड़ देता है, और सबसे ग़रीब इसकी क़ीमत सबसे लंबे समय तक चुकाते हैं: किराए में, कोचिंग की फ़ीस में और गँवाए हुए वर्षों में। संसद की शिक्षा संबंधी समिति अब कह रही है कि इसका हल कठोरतर दंड में कम, परीक्षा एजेंसी की बनावट में अधिक है।

8.1 संसदीय समिति की 382वीं रिपोर्ट: NTA के लिए प्रश्न बैंक और 1,000 सरकारी CBT केंद्र

मुद्दा भर्ती परीक्षाएँ और पेपर लीक (कड़ी 6) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही · विकास और समता

> *अब तक की कहानी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 अक्तूबर को लीक हुए प्रश्नों के मामले में कर्नाटक के निलंबित लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को गिरफ़्तार किया। NEET-UG 2026 लीक के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने NTA में सुधार माँगे, और निलेकणि कार्य बल ने NEET को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है।*

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली संसद की शिक्षा संबंधी समिति ने 9 अक्तूबर को राज्य सभा के सभापति को अपनी 382वीं रिपोर्ट, "राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार और उसका सशक्तीकरण", प्रस्तुत की, PIB की विज्ञप्ति के अनुसार। निलेकणि कार्य बल ने कहा था कि NEET कंप्यूटर आधारित परीक्षा (Computer-Based Testing — CBT) में बदलेगी; समिति बताती है कि यह कैसे हो। उसके अनुसार एक विशाल, निरंतर अद्यतन प्रश्न बैंक पेपर लीक के विरुद्ध "सबसे व्यावहारिक बचाव" है: CBT प्रश्नपत्रों को छापने या ढोने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अंतिम प्रश्नपत्र परीक्षा के बिल्कुल निकट तैयार किया जा सकता है, और जाँचकर्ता परीक्षा समाप्त होने तक पृथक रखे जाते हैं। NEET-UG को तभी स्थानांतरित किया जाए जब कम-से-कम प्रति ज़िला एक के हिसाब से 1,000 सुरक्षित सरकारी CBT केंद्र बन जाएँ, क्योंकि निजी केंद्र "कमज़ोर कड़ी" हैं। समिति काली सूची में डाले गए विक्रेताओं का राष्ट्रीय रजिस्टर माँगती है, बताती है कि NTA के 39 में से केवल 23 पद भरे हैं, और आयु तथा प्रयास की सीमा पर विचार करने का सुझाव देती है। पुणे में MPSC के अभ्यर्थी इस वर्ष राज्य के तीन पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

NEET-UG 2024 विवाद → राधाकृष्णन समिति ने सरकारी CBT केंद्र सुझाए → NEET-UG 2026 लीक → निलेकणि कार्य बल ने NEET को CBT के प्रति प्रतिबद्ध किया → संसदीय समिति ने शर्तें तय कीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **2026 में कठोर किए गए पेपर-लीक रोधी कानून का निशाना आयोजक और सेवा-प्रदाता हैं** — लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act), जिसमें जुलाई 2026 में संशोधन हुआ (31 जुलाई को स्वीकृति; ऊँचे दंड अधिसूचना के बाद लागू होंगे), UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और NTA की परीक्षाओं को शामिल करता है। अनुचित साधनों पर अब पाँच से दस वर्ष का कारावास और ₹50 लाख तक का जुर्माना है; संगठित लीक पर सात से दस वर्ष और कम-से-कम ₹10 करोड़ का जुर्माना। दोषी पाए गए सेवा-प्रदाता पर ₹5 करोड़ तक का जुर्माना और आठ वर्ष तक का प्रतिबंध लग सकता है। 2. **NTA एक पंजीकृत सोसाइटी है, वैधानिक निकाय नहीं** — 2017 में मंत्रिमंडल से स्वीकृत और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act) के अंतर्गत पंजीकृत यह एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के लिए NEET-UG, JEE (Main) और CUET कराती है और संसद के समक्ष कोई वार्षिक रिपोर्ट नहीं रखती। 2024 के NEET विवाद के बाद इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रति ज़िला कम-से-कम एक सुरक्षित सरकारी परीक्षा केंद्र का सुझाव दिया था, जिस योजना का आकार समिति अब 1,000 केंद्र आँकती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **परीक्षा की शुचिता अब शासन का प्रश्न है** — GS2 में "सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं से संबंधित … शिक्षा" और "सांविधिक, विनियामक तथा विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय" शामिल हैं; NTA की परीक्षाओं में प्रति वर्ष लगभग 1.2 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● NTA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है; वह वैधानिक निकाय नहीं है। ● 24 विभागों से संबंधित स्थायी समितियों में से प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं: 21 लोक सभा से, 10 राज्य सभा से। ● लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं। ● अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **प्रश्न बैंक लीक के अर्थशास्त्र पर चोट करता है** — लीक इसलिए फलता है कि एक तय प्रश्नपत्र हफ़्तों पहले मौजूद रहता है और छापाखानों तथा ट्रकों से गुज़रता है। परीक्षा से कुछ घंटे पहले

	यादृच्छिक रूप से चुना गया प्रश्नपत्र दोनों को घटा देता है, अवसर की खिड़की भी और उससे मिलने वाला लाभ भी। जोखिम अब स्वयं बैंक पर आ जाता है, इसीलिए प्रश्न बनाने वालों के कोचिंग से संबंधों की जाँच ज़रूरी है। 2. **दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही : NTA के पास स्वायत्तता है, पर जवाबदेही नहीं** — प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों से चलने वाली और किसी सदन के प्रति उत्तरदायी न होने वाली NTA की जवाबदेही केवल अदालत में तय होती है। एक विचारशील अधिकारी निश्चित कार्यकाल वाले प्रमुख, अपने स्वतंत्र कैडर, संसद को वार्षिक रिपोर्ट और CAG लेखा-परीक्षा वाली वैधानिक NTA का समर्थन करेगा : प्रश्नपत्र के लिए सुरक्षा-कवच, और परिणाम के लिए जवाबदेही। 3. **CBT ग्रामीण खाई को घटाएगा या बढ़ाएगा, यह इस पर निर्भर है कि केंद्र किसके हैं** — निजी केंद्र शहरों में सिमटे हैं, इसलिए ग्रामीण अभ्यर्थियों को यात्रा और ठहरने का ख़र्च उठाना पड़ता है। हर ज़िले में एक सरकारी प्रयोगशाला, जिसे दूसरे दिनों में स्कूल इस्तेमाल करें, परीक्षा के ख़र्च को सार्वजनिक संपत्ति में बदल देती है। प्रयासों की सीमा कोचिंग के अंतहीन चक्रों पर लगाम लगाती है, पर देर से शुरू करने वालों को दूसरा अवसर देने से वंचित नहीं करनी चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"भारत में पेपर लीक पुलिसिंग की विफलता से अधिक संस्थागत रचना की विफलता है।" राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए** — रचना और प्रवर्तन को तौलिए; निर्णय दीजिए। 2. **भूमिका — एक एजेंसी, लगभग 1.2 करोड़ अभ्यर्थी** — 382वीं रिपोर्ट (अक्तूबर 2026) का उल्लेख कीजिए। 3. **मुख्य भाग — रचना ही लीक को न्योता देती है : तय प्रश्नपत्र, निजी केंद्र, विक्रेताओं की काली सूची का अभाव, खोखला कैडर** — आरेख : प्रश्न बनाने वाला → छापाखाना → परिवहन → केंद्र, CBT में हर लीक-बिंदु कटा हुआ। 4. **मुख्य भाग — क़ानून NTA की स्वतंत्रता को जवाबदेही से जोड़ेगा** — मूल्य-वर्धन : राधाकृष्णन समिति। 2024 का अधिनियम लीक होने के बाद ही कार्य करता है। 5. **निष्कर्ष — पहले रचना सुधारिए, फिर दंड दीजिए** — प्रश्न बैंक, सरकारी केंद्र, विक्रेताओं का राष्ट्रीय रजिस्टर।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. कलेक्टर के रूप में आपको ऐसे ज़िले में सरकारी CBT केंद्र स्थापित करना है जहाँ कोई नहीं है। आप यह कैसे करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं भरोसेमंद बिजली और कनेक्टिविटी वाला कोई सरकारी महाविद्यालय चुनूँगा, ताकि उसकी प्रयोगशाला का उपयोग दूसरे दिनों में स्कूल भी कर सकें। प्रवेश-नियंत्रण और कर्मचारियों की जाँच एक नामित अधिकारी के ज़िम्मे रखूँगा। पहले ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए अभ्यास परीक्षाएँ कराऊँगा, ताकि नया प्रारूप उनके लिए नया नुक़सान न बन जाए।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

पूर्वोत्तर में नशे के विरुद्ध लड़ाई को आम तौर पर नष्ट किए गए हेक्टेयर में गिना जाता है; मणिपुर अब दोबारा रोपे गए हेक्टेयर गिन रहा है। यह सही सूझ है, क्योंकि अफ़ीम की खेती अपराध होने से पहले आजीविका है, और मणिपुर में वह एक जातीय संघर्ष को भी ईंधन देती है जिसे ज़ब्ती के आँकड़े समाप्त नहीं कर सकते।

9.1 मणिपुर ने तीन पहाड़ी ज़िलों में अफ़ीम से साफ़ किए गए 255 हेक्टेयर वन भूमि पर बाँस लगाया

मुद्दा **मादक पदार्थ : तस्करी नेटवर्क और दवा विचलन** (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** परंपरा और सामाजिक न्याय · विधि का शासन और विवेकाधिकार

> *अब तक की कहानी* अमित शाह ने नशे के कारोबार को 'जड़ से उखाड़ने' की समय-सीमा 31 दिसंबर 2029 तय की और राज्यों से ज़ब्ती गिनने के बजाय नेटवर्क ध्वस्त करने को कहा। मणिपुर में नगा–कुकी संघर्ष को नशे के मार्गों की प्रतिद्वंद्विता से बल मिला है।

समाचार (THE NEWS) गुवाहाटी, 9 अक्टूबर। द हिंदू के अनुसार, मणिपुर के वन विभाग ने अफ़ीम पोस्ता (जिसके लेटेक्स से अफ़ीम और परिष्कृत होने पर हेरोइन बनती है) की खेती के लिए साफ़ की गई 255 हेक्टेयर वन भूमि पर बाँस लगाया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराग बाजपेयी ने बताया कि 2018 से किए गए सर्वेक्षणों में चंदेल, चुराचांदपुर और सेनापति में 307 हेक्टेयर में पोस्ता मिला है, और सर्वेक्षण जारी हैं। पोस्ता की खेती को राज्य के जातीय संघर्ष के कारणों में से एक बताया जाता है। जब तक ऐसी प्रजाति नहीं मिलती जो 'तेज़ी से बढ़ने वाले' पोस्ता को पछाड़ सके, तब तक बाँस, जो 'आजीविका के अवसर पैदा करते हुए पर्यावरण को बहाल करने में मदद कर सकता है', साफ़ किए गए टुकड़ों को भर रहा है, और गाँवों के मुखियाओं को इस फ़सल से हतोत्साहित करने में लगाया जा रहा है। मणिपुर का लगभग 78% भाग वनभूमि के रूप में वर्गीकृत है, पर वन आच्छादन लगभग 74% है। बर्मी सागौन जैसे ज़ब्त तस्करी के वन उत्पादों से 2023-24 से 2025-26 के बीच ₹115 करोड़ प्राप्त हुए।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दूरस्थ पहाड़ियाँ, नक़दी फ़सलें कम → पोस्ता के लिए वन की सफ़ाई → नशे का धन सशस्त्र समूहों और संघर्ष को पोषित करता है → फ़सलें नष्ट, ढलान नंगे और आय समाप्त → भूमि और आजीविका के लिए बाँस का रोपण

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **NDPS अधिनियम, 1985 लाइसेंस के बिना पोस्ता की खेती निषिद्ध करता है** — धारा 8 अफ़ीम पोस्ता, भाँग या कोका की खेती को, अधिनियम द्वारा अनुमत चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों को छोड़कर, प्रतिबंधित करती है ; धारा 18 अफ़ीम पोस्ता और अफ़ीम संबंधी अपराधों को मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध दंड देती है। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करे। 2. **वन के बाहर उगाया बाँस अब विधिक रूप से 'वृक्ष' नहीं है** — भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 [Indian Forest (Amendment) Act, 2017] ने बाँस को 'वृक्ष' की परिभाषा से हटा दिया, इसलिए वन के बाहर उगाए बाँस को पारगमन अनुज्ञा-पत्र के बिना काटा और ले जाया जा सकता है ; पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन ऐसे रोपण को बढ़ावा देता है। वनभूमि के भीतर रोपा गया बाँस, जैसा मणिपुर में हुआ है, वन उपज ही रहता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3 "संगठित अपराध" को "सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन" से जोड़ता है** — म्यांमार सीमा पर नशे के धन से पोषित संघर्ष इन दोनों को जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• प्रमुख अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के संगम पर है ; गोल्डन क्रेसेंट अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में फैला है। • भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वन क्षेत्रों के बाहर उगाया गया बाँस 'वृक्ष' नहीं है। • वानस्पतिक दृष्टि से बाँस एक घास है। • नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का गठन 1986 में NDPS अधिनियम, 1985 के अंतर्गत हुआ था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **आय का विकल्प दिए बिना पोस्ता नष्ट करना उसे केवल दूसरी जगह पहुँचा देता है** — पोस्ता किसी भी वैध फ़सल से कहीं अधिक कमाई देता है, इसलिए विकल्प के बिना उसे उखाड़ने से खेती और गहरे जंगल में चली जाती है। बाँस से बिकने योग्य डंठल मिलने में वर्ष लगते हैं, जबकि पोस्ता की आय तुरंत समाप्त हो जाती है। जब तक मज़दूरी का काम, सुनिश्चित ख़रीद या प्रसंस्करण इन बीच के वर्षों को न सँभालें, उन्मूलन केवल स्थानांतरण बनकर रह जाता है। 2. **लेंस — परंपरा और सामाजिक न्याय : गाँव के मुखिया स्थायी परिवर्तन का द्वार हैं** — मणिपुर की पहाड़ियों में भूमि उपयोग मुखियाओं और रूढ़िगत सत्ता से चलता है, इसलिए उन्हें जोड़ना उचित है। किंतु रूढ़िगत नियंत्रण खेती करने वालों और धन लगाने वालों को आड़ भी दे सकता है, और संघर्ष ने समुदायों को उन एजेंसियों से सशंकित कर दिया है जिन्हें वे पक्षपाती मानते हैं।

	विवेकशील अधिकारी मुखियाओं को साझेदार बनाएगा — बाँस की आय में हिस्सा और दोबारा पोस्ता उगाने पर स्पष्ट परिणाम तय करके। 3. **पोस्ता, वन-क्षति और संघर्ष एक ही चक्र हैं, इसलिए उनकी एक ही योजना चाहिए** — पोस्ता के लिए वन की सफ़ाई आच्छादन को घटाती है, और नशे के धन से ख़रीदे हथियार राज्य को पहाड़ियों से बाहर रखते हैं। वही खुली सीमा सागौन, सुपारी और नशे को ढोती है, फिर भी वन विभाग, पुलिस और सीमा शुल्क इन नेटवर्कों का पीछा अलग-अलग करते हैं। प्रतिपक्ष: सक्रिय संघर्ष में सुरक्षा पहले आती है, क्योंकि जिन गाँवों में बल नहीं पहुँच सकते वहाँ योजनाएँ भी नहीं पहुँच सकतीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	मणिपुर के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि भारत के पूर्वोत्तर में अवैध पोस्ता की खेती पर अंकुश लगाने में वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम प्रवर्तन के पूरक कैसे हो सकते हैं। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **निर्देश — परीक्षण कीजिए** — संबंध और उसकी सीमाओं की पड़ताल कीजिए। 2. **प्रस्तावना — 307 हेक्टेयर में पोस्ता मिला, 255 हेक्टेयर पर बाँस** — मणिपुर के संघर्ष के एक कारण के रूप में पोस्ता। 3. **मुख्य भाग — केवल उन्मूलन पोस्ता को स्थानांतरित करता है क्योंकि आय का अंतर बना रहता है** — मूल्य-वर्धन: 2018 से सर्वेक्षणों में नए क्षेत्र मिलते रहे हैं। 4. **मुख्य भाग — फ़सल आने तक के वर्षों के लिए बाँस को मज़दूरी के काम और सुनिश्चित ख़रीदारों की ज़रूरत है** — फ़्लोचार्ट: सर्वेक्षण → नष्ट करना → पुनः रोपण → सुनिश्चित बाज़ार → पुनः सर्वेक्षण। 5. **मुख्य भाग — मुखिया, सीमा नियंत्रण और संघर्ष तय करते हैं कि यह टिकेगा या नहीं** — एजेंसियाँ अलग-अलग खाँचों में काम करती हैं। 6. **निष्कर्ष — सुरक्षा, आजीविका और बाज़ार को क्रमबद्ध करने वाली एक ज़िला योजना** — उस भूमि को मापिए जो साफ़ बनी रहती है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. मंडल वन अधिकारी के रूप में, एक गाँव का मुखिया कहता है कि पोस्ता नष्ट हुआ तो परिवार भूखे रहेंगे। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** कानून पोस्ता को खड़ा रहने देने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता, और मैं यह साफ़ कहूँगा। पर मैं नष्ट करने का समय ऐसे तय करूँगा कि विकल्प तैयार हों: पौधे, मज़दूरी वाला नर्सरी और रोपण का काम, और बाँस मिशन के ज़रिए भविष्य का ख़रीदार। मुखिया के साथ हुए समझौते को दर्ज करूँगा और एक मौसम बाद पुनः जाँच करूँगा।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — "मक्खी मारने के लिए हथौड़ा": पुलिस आयुक्त और प्रदर्शन के दिन की बंदी

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (10 अक्तूबर) के अनुसार, 10 अक्तूबर को मध्य दिल्ली में आहूत प्रदर्शन से पहले अधिकारियों ने 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने की सूची बनाई (जिसे बाद में घटाकर 45 किया गया), दिल्ली आने-जाने वाली कम-से-कम 245 रेलगाड़ियाँ रद्द कीं और मध्य दिल्ली में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया। 9 अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने परिवहन संबंधी अधिसूचनाओं को "अतिशय" पाया और "निषेध" तथा "विनियमन" के बीच भेद किया; मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आनुपातिकता का अर्थ "मक्खी मारने के लिए हथौड़ा" चलाना नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप पुलिस आयुक्त हैं। ख़ुफ़िया सूचना चेतावनी देती है कि कुछ बाहरी लोग हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि शहर को पूरी तरह सील कर दिया जाए। मरीज़, मुक़दमेबाज़ और दिहाड़ी मज़दूर मेट्रो पर निर्भर हैं, और आयोजकों का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा।

प्रश्न 1. यहाँ कौन-से मूल्य और अधिकार टकरा रहे हैं, और किनके हितों की अनदेखी सबसे आसानी से हो जाती है?

प्रश्न 2. प्रदर्शन के दिन के लिए आप कौन-से इंतज़ाम करेंगे, जिनका बचाव आप न्यायालय के समक्ष कर सकें?

प्रश्न 3. उन वरिष्ठों को आप क्या उत्तर देंगे जो आग्रह करते हैं कि पूर्ण बंदी ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **आनुपातिकता केवल कानूनी कसौटी नहीं, प्रशासनिक गुण भी है** — शांतिपूर्ण सभा का संरक्षण अनुच्छेद 19(1)(b) देता है, जो अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। किसी निर्बंधन का उद्देश्य वैध होना चाहिए, वह उपयुक्त और आवश्यक होना चाहिए, और वह कारगर विकल्पों में सबसे कम प्रतिबंधात्मक होना चाहिए। पूर्ण बंदी कुछ लोगों के पैदा किए जोखिम के लिए लाखों यात्रियों को दंडित करती है।

2. **प्रवाह को विनियमित कीजिए, शहर को ठप मत कीजिए** — मेट्रो चालू रखिए, बंदी केवल आयोजन-स्थल के निकटतम स्टेशनों तक सीमित रखिए, शेष स्टेशनों पर अतिरिक्त तलाशी और CCTV लगाइए, और रेलगाड़ियों को चरणबद्ध चलाइए। यातायात परामर्श जल्दी जारी कीजिए। ख़ुफ़िया सूचना विशिष्ट हो तो लक्षित निवारक उपाय कीजिए, सर्वव्यापी प्रतिबंध नहीं। इंटरनेट बंदी अंतिम उपाय होनी चाहिए, क्षेत्र और अवधि में सीमित, और लिखित कारणों के साथ।

3. **आदेश-शृंखला के भीतर असहमति, अभिलेख पर** — न्यायालय का आदेश और ख़र्च सहित एक वैकल्पिक योजना वरिष्ठों को लिखित रूप में दीजिए। यदि आपकी बात न मानी जाए तो वैध आदेश का पालन कीजिए, पर आपत्ति अभिलिखित कर दीजिए। यहाँ साहस का अर्थ ईमानदार परामर्श देना है, वैध प्राधिकार की अवज्ञा करना नहीं।

4. **निष्कर्ष — न्यूनतम हानि के साथ व्यवस्था की रक्षा** — लोक व्यवस्था की अच्छी योजना की कसौटी यह है कि प्रदर्शन शांति से गुज़र जाए और अस्पताल का मरीज़ फिर भी अस्पताल पहुँच सके।

प्रकरण 2 — "यह जानकर स्तब्ध रह गया कि मैं मर चुका हूँ": निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और विधायक की आपत्तियाँ

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (10 अक्तूबर) के अनुसार, कर्नाटक के विजयपुरा में एक सब्ज़ी विक्रेता को अपने बूथ स्तरीय अधिकारी से पता चला कि उसके नाम पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी हो चुका है। स्थानीय विधायक ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के आपत्ति-चरण में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer — ERO) को जो पत्र दिया, उसके साथ आठ जीवित मतदाताओं के मृत्यु प्रमाणपत्र कथित रूप से संलग्न थे, और अब एक FIR में विधायक का नाम है। निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में प्रति दावा-अवधि व्यक्तिगत फ़ॉर्म 7 आपत्तियों की सीमा 10 तय की है। कल्पना कीजिए कि आप ERO हैं। समय-सीमा से पहले के अंतिम सप्ताह में सैकड़ों आपत्तियाँ आ रही हैं, जिनमें बहुत-सी दलीय कार्यकर्ताओं की थोक में दायर की हुई हैं। आपके पास कर्मचारी कम हैं, और विधायक का कार्यालय रोज़ फ़ोन करके पूछता है कि नाम हटाने में "देरी" क्यों हो रही है।

प्रश्न 1. आपत्तिकर्ता के प्रति, आपत्ति में नामित मतदाता के प्रति और स्वयं निर्वाचक नामावली के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं?

प्रश्न 2. समय-सीमा से पहले थोक आपत्तियों का निष्पक्ष निपटारा आप कैसे करेंगे?

प्रश्न 3. विधायक के दबाव और जाली प्रमाणपत्रों से आप कैसे निपटेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **सुनवाई के बिना कोई नाम नहीं हटेगा** — निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules) के अंतर्गत ERO को कोई नाम हटाने से पहले आपत्तिकर्ता और जिस व्यक्ति पर आपत्ति है, दोनों को नोटिस देना और सुनना होगा। नामावली में दर्ज नाम को वैध माना जाता है; सबूत का भार आपत्तिकर्ता पर होता है। किसी जीवित मतदाता का नाम ग़लत ढंग से हटाना अनुच्छेद 326 के अंतर्गत उसके मतदान के अधिकार को छीनना है।

2. **स्वतंत्र सत्यापन कीजिए, जोखिम के आधार पर छँटाई कीजिए** — हर मामले का बूथ स्तरीय अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराइए, मृत्यु प्रमाणपत्रों का मिलान जारी करने वाले नगरपालिका रजिस्टर से कीजिए, और जो एक व्यक्ति अनेक मामलों में आपत्ति कर रहा हो उसे ऐसा संकेत मानिए जिसमें व्यक्तिगत जाँच ज़रूरी है। निर्धारित प्रारूप या अवधि से बाहर के फ़ॉर्म अस्वीकार कीजिए। यदि समय-सीमा में निष्पक्ष ढंग से काम पूरा न हो सके तो जल्दबाज़ी में नाम साफ़ करने के बजाय ज़िला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए।

3. **दबाव के बीच निष्पक्षता** — विधायक के कार्यालय को केवल लिखित उत्तर दीजिए, और हर दल पर वही प्रक्रिया लागू कीजिए। जाली दस्तावेज़ पुलिस को सौंपिए और झूठी घोषणाओं की सूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act) की धारा 31 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए दीजिए। हर फ़ोन कॉल का एक फ़ाइल-नोट रखिए।

4. **निष्कर्ष — नामावली मतदाता की है** — ERO की तटस्थता स्वतंत्र चुनाव की पहली सुरक्षा है। देरी का आरोप झेल लेना किसी जीवित नागरिक का नाम नामावली से काट देने से कहीं बेहतर है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तय सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन — G.S.R. 861(E) और अनुसूची H, H1 व X	स्वास्थ्य मंत्रालय की 28 सितंबर की मसौदा अधिसूचना G.S.R. 861(E) में औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) के नियम 65 में नया उप-नियम (22) जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके तहत खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और वितरक केंद्र की पूर्व मंज़ूरी के बिना अनुसूची H, H1 और X की दवाओं का विज्ञापन नहीं कर सकेंगे; निर्माताओं पर यह रोक पहले से लागू है (PIB, 9 अक्टूबर; द हिंदू पृ. 14; द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 5)। यह प्रस्ताव औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक के बाद आया है, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के तहत गठित वैधानिक विशेषज्ञ निकाय है। अनुसूची H, H1 और X में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएँ आती हैं, जिनमें कुछ एंटीबायोटिक और मनोदैहिक (psychotropic) दवाएँ भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय फ़ॉर्मूलरी — DCGI ने अनुमोदन-रहित दवाओं की ओर ध्यान दिलाया	भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI), जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के प्रमुख हैं, ने भारतीय फ़ार्माकोपिया आयोग (IPC) को पत्र लिखकर बताया कि 21 सितंबर को जारी राष्ट्रीय फ़ॉर्मूलरी (National Formulary of India) के 7वें संस्करण (NFI 2026) में ऐसी दवाएँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें CDSCO ने मंज़ूर नहीं किया है, और इसके "अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ हो सकते हैं" (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 5)। NFI दवाएँ लिखने, देने और प्रयोग कराने की मार्गदर्शिका है; इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन IPC प्रकाशित करता है, जबकि CDSCO देश का औषधि नियामक है।
SEBI के निपटान विनियम — अब अलग से होगा अवैध लाभ का समर्पण	SEBI ने नए निपटान विनियम (settlement regulations) अधिसूचित किए हैं। इनमें निपटान राशि को उल्लंघन के लिए न्यूनतम जुर्माने से जोड़ा गया है, जबकि अनुचित लाभ, बचाई गई हानि या निवेशकों को हुई हानि का समर्पण (disgorgement) अलग से कराया जाएगा, जिससे दोहरी गणना बंद होती है; ₹10 लाख तक की निपटान राशि वाले मामले फ़ास्ट-ट्रैक रास्ते से सीधे पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल को भेजे जाएँगे (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 11)। निपटान से कोई व्यक्ति दोष स्वीकार या अस्वीकार किए बिना एक राशि चुकाकर कार्यवाही समाप्त करा सकता है; यह शक्ति SEBI अधिनियम, 1992 (SEBI Act, 1992) की धारा 15JB से मिलती है।
क्रिटिकल मिनरल — NCMM के तहत भंडारण नीति	खान सचिव केशव चंद्रा ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल के भंडारण (stockpiling) की नीति एक महीने के भीतर आने की उम्मीद है, और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा में क्रिटिकल मिनरल की चार प्रसंस्करण पार्क बनाने की योजना है (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 7; द हिंदू पृ. 15)। बजट 2024-25 में घोषित राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) का परिव्यय सात वर्षों में ₹16,300 करोड़ है, साथ ही PSU से ₹18,000 करोड़ के अपेक्षित निवेश का अनुमान है; इसमें अन्वेषण, विदेशी परिसंपत्तियाँ, पुनर्चक्रण और राष्ट्रीय भंडार शामिल हैं (कैबिनेट विज्ञप्ति)।
G20 का 'संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता' वक्तव्य — हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत का नाम	मिल्वौकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक (30 सितंबर–1 अक्टूबर) के बाद अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में भारत को यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य के साथ उन देशों में गिना गया है जिन्होंने ऑटोमोबाइल, EV, बैटरी, रसायन, बुनियादी अर्धचालक (semiconductor) और सौर पैनल जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता को एक चुनौती के रूप में "स्वीकार किया"; ये देश OECD के काम के आधार पर दिसंबर 2026 से पहले तकनीकी वार्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 22)। यह अमेरिका का ब्यौरा है; दर्पण के 3 अक्टूबर के कार्ड में बताया गया था कि पीयूष गोयल ने बैठक में "अतिरिक्त क्षमता" के आरोप को खारिज किया था।
ओरांगउटान की इंडोनेशिया वापसी — CITES परिशिष्ट I	नवंबर 2024 में ठाणे ज़िले में ज़ब्त किए गए और जामनगर के ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखे गए एक शिशु ओरांगउटान को इंडोनेशिया वापस भेजा जाना है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 1, 12)। ओरांगउटान CITES (विलुप्तप्राय वन्य जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, 1973) के परिशिष्ट I में हैं, जो विलुप्ति के खतरे वाली प्रजातियों के वाणिज्यिक व्यापार की अनुमति नहीं देता; यह संधि जहाँ संभव हो, ज़ब्त पशुओं को उनके देश लौटाने को प्रोत्साहित करती है। भारत का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जिसे 2022 में संशोधित किया गया, CITES को प्रभावी बनाता है।
लद्दाख वार्ता — अनुच्छेद 371 और प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K)	केंद्र द्वारा एक अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधान, यानी प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K), की पेशकश के बाद गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधि — लेह एपेक्स बॉडी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस — 15 अक्टूबर को केंद्रशासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था पर चर्चा के लिए मिलेंगे (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 10)। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 371A से 371J नागालैंड, मिज़ोरम और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों के लिए; अनुच्छेद 371(K) अभी अस्तित्व में नहीं है और इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। लद्दाख में लेह और कारगिल में दो स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें हैं; जुलाई में केंद्रशासित प्रशासन ने सभी सात ज़िलों के लिए परिषदों की घोषणा की।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
CAQM — दिल्ली-NCR से आगे देखने वाला पैनल	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 15 सदस्यीय विशेषज्ञ उप-समिति गठित की है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में NCR से सटे उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जिनके प्रदूषण स्रोत NCR की हवा को प्रभावित करते हैं; रिपोर्ट दो महीने में देनी है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 6)। CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021) के अंतर्गत वैधानिक निकाय है, और इस क्षेत्र में उसके निर्देश राज्य प्रदूषण बोर्डों के निर्देशों पर प्रभावी होते हैं।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड — बंदी-प्रजनित पक्षी पहली बार छोड़े गए	4 अक्टूबर को जैसलमेर के पास डेज़र्ट नेशनल पार्क में दो बंदी-प्रजनित नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहली बार प्राकृतिक आवास में छोड़े गए; यह काम केंद्र, भारतीय वन्यजीव संस्थान और राजस्थान व गुजरात की सरकारों द्वारा संचालित प्रोजेक्ट GIB के तहत हुआ (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 13)। इन पक्षियों का प्रजनन सम और रामदेवरा के केंद्रों में हुआ था। यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered) है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में आती है; राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण कहलाता है।
प्रयास बनाम तैयारी — सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय का फ़ैसला उठाया	मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने स्वत: संज्ञान वाले एक मामले में उस अभियुक्त को नोटिस जारी किया, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने बलात्कार के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया था; उच्च न्यायालय ने कहा था कि महिला की सलवार उतारना "अधिक से अधिक" भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया हमला है (द हिंदू पृ. 14)। निचली अदालत ने उसे धारा 376 सहपठित धारा 511 IPC (प्रयास) में दोषी ठहराया था। आपराधिक कानून में तैयारी सामान्यत: दंडनीय नहीं होती, जबकि प्रयास दंडनीय है; भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में प्रयास धारा 62 और लज्जा भंग धारा 74 के अंतर्गत आता है।
NCRB और प्रदर्शनकारियों के बायोमेट्रिक — दंड प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम	एक हलफ़नामे में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के माध्यम से राज्य सभा के एक सांसद के इस दावे को "सर्वव्यापी" (omnibus) बताया कि जंतर मंतर पर NEET प्रदर्शनकारियों के बायोमेट्रिक अवैध रूप से सहेजे गए, और कहा कि NAFIS (राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली) तथा CCTNS से डेटा मिटाने की याचिका में विशिष्ट रिकॉर्डों का नाम देना ज़रूरी है (द हिंदू पृ. 14)। दंड प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 (Criminal Procedure (Identification) Act, 2022) के तहत NCRB गिरफ़्तार और दोषसिद्ध व्यक्तियों के उँगलियों के निशान और आइरिस स्कैन जैसे माप 75 वर्षों तक सहेजता है।
AITIGA की समीक्षा — अगला दौर भारत में, जनवरी 2027	आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा करने वाली 15वीं संयुक्त समिति की बैठक 6–9 अक्टूबर को जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने की; अगली बैठक जनवरी 2027 में भारत में होगी (PIB, 9 अक्टूबर; द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 7)। AITIGA पर 2009 में हस्ताक्षर हुए थे और यह 2010 में प्रभावी हुआ। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा से हुई थी और उसका सचिवालय जकार्ता में है।
INS मांगरोल — पनडुब्बी-रोधी उथले जल का पोत	कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया तीसरा पनडुब्बी-रोधी युद्धक उथले जल का पोत (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft), मांगरोल, 12 अक्टूबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा (PIB, 9 अक्टूबर)। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, साथ ही अभय हल-माउंटेड सोनार और वाटरजेट प्रणोदन है। इसका नाम गुजरात के जूनागढ़ के मछुआरा कस्बे मांगरोल पर रखा गया है और यह 2004 में सेवामुक्त किए गए एक माइनस्वीपर के नाम को आगे बढ़ाता है।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 अक्टूबर — 2026 की थीम	विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ द्वारा तय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनाई गई 2026 की थीम है "Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change", यानी मानसिक बीमारी का जीवंत अनुभव रखने वाले लोग सेवाओं को आकार दें (PIB, 9 अक्टूबर; द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 6)। राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली-मानस (14416) 10 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को कानूनी अधिकार बनाता है और यह मानकर चलता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में होता है, जिससे व्यवहार में उस प्रयास का अपराधीकरण समाप्त हो जाता है।
वर्ल्डस्किल्स 2026 — भारत पहली बार शीर्ष 10 में	शंघाई में सितंबर 2026 की 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में भारत पहली बार शीर्ष 10 में रहा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक लेख के अनुसार (द हिंदू पृ. 10)। वर्ल्डस्किल्स हर दो वर्ष में होती है, जिसमें लगभग 70 देशों और क्षेत्रों के युवा प्रतिभागी वेल्डिंग से लेकर साइबर सुरक्षा तक के व्यवसायों में भाग लेते हैं। PM-SETU 1,000 सरकारी ITI को उद्योग भागीदारों के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल में उन्नत करने की योजना है।
दूरसंचार धोखाधड़ी — IMC 2026 में ITU गोलमेज़	संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की गोलमेज़ बैठक में दूरसंचार धोखाधड़ी के विरुद्ध भारत की परतदार सुरक्षा पर बात की, जिसमें स्पूफ़ किए गए अंतरराष्ट्रीय कॉलों की रीयल-टाइम रोकथाम, नकली दस्तावेज़ों पर ली गई SIM पकड़ने वाला C-DOT का AI-आधारित ASTR टूल और संचार साथी पोर्टल शामिल हैं (PIB, 9 अक्टूबर)। जिनेवा में मुख्यालय वाला ITU सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है।
रेल अधिनियम, धारा 145(2)	रेलवे ने चेताया है कि ट्रेनों में तेज़ संगीत बजाना और स्पीकर-फ़ोन का प्रयोग रेल अधिनियम, 1989

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
— ट्रेनों में उपद्रव	(Railways Act, 1989) की धारा 145(2) के तहत उपद्रव माना जा सकता है, जिसे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 से संशोधित किया गया है : ₹1,000 का जुर्माना और रेलवे परिसर से निष्कासन, तथा रोके जाने के बाद भी न मानने पर छह माह तक का साधारण कारावास या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों (द हिंदू पृ. 14)। जन विश्वास अधिनियम कई कानूनों में संशोधन करके छोटे अपराधों के लिए जेल की सज़ा की जगह जुर्माना रखते हैं।
JNU की बर्खास्तगी — POSH अधिनियम और CCS (CCA) नियम 11	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक समिति द्वारा यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर को, जो वर्तमान लोक सभा सांसद हैं, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों (Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules) के नियम 11(ix) का सहारा लेकर बर्खास्त कर दिया (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 1 ; द हिंदू पृ. 3)। नियम 11 में दंडों की सूची है, और (ix) यानी बर्खास्तगी सबसे कठोर है, जो आमतौर पर व्यक्ति को आगे सरकारी नौकरी के अयोग्य बना देती है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) हर उस नियोक्ता के लिए आंतरिक समिति गठित करना अनिवार्य करता है जिसके यहाँ दस या अधिक कर्मचारी हों।
वन अधिकार अधिनियम — कोलकाता में क्षेत्रीय समीक्षा	जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) पर दूसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन 9 अक्टूबर को कोलकाता में आठ राज्यों के लिए किया, जिनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं और जहाँ बड़ी संख्या में दावे लंबित हैं ; पहला सम्मेलन 10 सितंबर को बेंगलुरु में हुआ था (PIB)। अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है, और दावों का निपटारा उप-मंडल तथा ज़िला स्तर की समितियाँ करती हैं।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 10 अक्टूबर 2026 से ली गई है; जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अख़बार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1 (15 अंक, 250 शब्द)

> ***"आरक्षण का आधार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता होना चाहिए, जनसंख्या का अनुपात नहीं।" 50% सीमा पर हाल के निर्णयों के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)***

भूमिका — अनुच्छेद 16(4) राज्य सेवाओं में "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" न पाने वाले पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति देता है; जनसंख्या-हिस्से का उसमें उल्लेख नहीं। Indra Sawhney (1992) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण 50% पर सीमित किया, "असाधारण स्थितियों को छोड़कर"। 9 अक्टूबर को दो अदालतों ने यही कसौटी लगाई।

1. **अदालतें अब अपर्याप्तता का प्रमाण माँगती हैं** — मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2019 का वह अधिनियम रद्द किया जिसने OBC कोटा 14% से 27% किया और EWS सहित कुल 73% कर दिया था। OBC के पास पहले ही 28.16% सरकारी पद और 33.87% उच्च शिक्षा सीटें थीं; राज्य असाधारण स्थिति नहीं दिखा सका। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में 34% BC कोटे की आंध्र प्रदेश की अपील खारिज की, क्योंकि परिवार सर्वेक्षण में राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन नहीं था।

2. **पर्याप्तता आरक्षण को उपचार बनाए रखती है, हिस्सा नहीं** — अनुपातिक कोटा जातियों में होड़ शुरू करता है। उच्च न्यायालय के अनुसार OBC के रिक्त पद भर्ती की विफलता दिखाते हैं, अधिक आरक्षण की ज़रूरत नहीं।

3. **फिर भी जनसंख्या का तर्क वज़नदार है** — मध्य प्रदेश की लगभग आधी आबादी OBC है। ताज़ा जातिवार आँकड़ों के बिना पर्याप्तता किसी भी पक्ष में सिद्ध करना कठिन है।

4. **सीमा साक्ष्य का नियम है** — राज्य आँकड़े बड़े होने से नहीं, डेटा कमज़ोर होने से हारे। सितंबर 2022 तक की नियुक्तियों को संरक्षण दिखाता है कि अदालतें कार्यरत कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता भी साधती हैं।

निष्कर्ष — कथन मोटे तौर पर सही है: अनुच्छेद 16(4) पर्याप्तता की बात करता है, और अनुपात उपचार को अधिकार बना देगा। आगे की राह: स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग पदों और सीटों के जातिवार आँकड़े समय-समय पर जुटाए, और कोटा साक्ष्य पर बदले, चुनावी समय पर नहीं।

यह बनाइए: *पहले बिंदु के बगल में फ़्लोचार्ट: डेटा → समर्पित आयोग → कोटे का आकार → न्यायिक समीक्षा, और एक बॉक्स जिसमें लिखा हो "50% से ऊपर केवल असाधारण प्रमाण पर"।*

(274 शब्द)

11.2 GS1 कोना — भूगोल: गंगा के मैदान में बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध और बाँध

आज का संदर्भ: *5.1*

1. **बाढ़ का मैदान नदी की अपनी बाढ़ से बनता है** — जब नदी अपने तटों से बाहर उफनती है तो पास की समतल भूमि पर फैलकर वहाँ गाद जमा देती है। सदियों में यही निक्षेपण बाढ़ का मैदान बनाता है, इसीलिए वह उपजाऊ होता है और उच्च प्रवाह में नदी उसे फिर अपने कब्ज़े में ले लेती है।

2. **प्राकृतिक तटबंध वहाँ बनते हैं जहाँ उफनता पानी सबसे पहले धीमा पड़ता है** — मोटे अवसाद धारा के ठीक पास जमा होकर नीची कगारें बनाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तटबंध (natural levees) कहते हैं। कृत्रिम बाँध इनकी नकल करते हैं, पर पानी को धारा में बाँधकर वे निचले प्रवाह में बाढ़ का स्तर बढ़ा देते हैं।

3. **विसर्प और गोखुर झीलें सक्रिय बाढ़ के मैदान की निशानी हैं** — मैदानी नदियाँ विसर्प (meanders) बनाकर बल खाती हैं; जब कोई घुमाव कट जाता है तो गोखुर झील (oxbow lake) शेष रह जाती है। ये आकृतियाँ बताती हैं कि उच्च प्रवाह में नदी किस भूमि पर अब भी अधिकार रखती है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- जलोढ़ बाढ़ के मैदान मुख्यतः बाढ़ के दौरान निक्षेपण से बनते हैं।
- प्राकृतिक तटबंध बाढ़ के दौरान नदी के किनारों पर जमा अवसाद की कगारें हैं।
- गोखुर झील तब बनती है जब विसर्प का घुमाव मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
लखनऊ (Lucknow)	मध्य उत्तर प्रदेश में, गंगा के मैदान में, गोमती के दोनों तटों पर।	गोमती की बाढ़ से लगभग 25,000 लोग प्रभावित हुए,	गोमती गंगा की सहायक नदी है।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
		1982 के बाद रिवरफ़्रंट पर सबसे भीषण जलप्लावन (5.1)।	
विजयपुरा (Vijayapura)	उत्तरी कर्नाटक में, महाराष्ट्र सीमा के निकट, कृष्णा और भीमा नदियों के बीच।	फ़ॉर्म 7 की आपत्तियों में आठ जीवित मतदाताओं के जाली मृत्यु प्रमाणपत्रों पर FIR (1.3)।	मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद यहीं है; यह आदिलशाही राजधानी (बीजापुर) थी।
डरबन (Durban)	क्वाज़ुलू-नेटाल प्रांत में, दक्षिण अफ़्रीका के हिंद महासागर तट पर।	भारतीय तमिल परिवार में जन्मीं 2026 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नवी पिल्लै की जन्मभूमि (4.1)।	गांधी जी ने 1904 में डरबन के निकट फ़ीनिक्स बस्ती की स्थापना की थी।
द हेग (The Hague)	पश्चिमी नीदरलैंड में, उत्तरी सागर के तट पर।	अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय, जो अब अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है (4.1)।	अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) भी यहीं पीस पैलेस में बैठता है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): शक्ति के प्रयोग में आनुपातिकता (Proportionality)

अर्थ — लोक प्राधिकारी को उतने ही बल या प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिए जितना सामने खड़ी हानि के लिए ज़रूरी हो। कारगर उपायों में से सबसे कम हस्तक्षेप वाला चुना जाए और उसके कारण दर्ज किए जाएँ।

आज के समाचार में — केस 1 और 1.2: एक प्रदर्शन के लिए 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने और 245 ट्रेनें रद्द करने से लाखों यात्री प्रभावित हुए; सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध की जगह नियमन, तलाशी और CCTV की बात कही।

उत्तर में उपयोग — लोक व्यवस्था, प्रवर्तन या दंड पर केस स्टडी में: विकल्प-विश्लेषण में इसे लिखकर सबसे कम प्रतिबंधात्मक विकल्प का औचित्य सिद्ध करें।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

हम प्रायः मानसिक स्वास्थ्य को ऐसी चीज़ मानते हैं जो एक व्यक्ति के अपने मन के भीतर घटती है और जिसे वही व्यक्ति या कोई डॉक्टर ठीक करे। यह सोच आंशिक रूप से सही है। गंभीर मानसिक बीमारी को प्रशिक्षित उपचार चाहिए, और कितनी भी दोस्ती इलाज की जगह नहीं ले सकती। लेकिन यह सोच इस बात को छोड़ देती है कि हमारी भलाई का कितना बड़ा हिस्सा लोगों के बीच बनता है।

मनुष्य छोटे समूहों में विकसित हुआ, जहाँ अलग-थलग पड़ जाने का मतलब मृत्यु हो सकता था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि अकेलेपन को एक खतरे की तरह महसूस किया जाता है। जिस व्यक्ति के पास बुरे दिन के बाद बात करने को कोई नहीं होता, वह उस दिन का बोझ अकेले ढोता है और छोटी चिंताएँ बड़ी हो जाती हैं। जिसके पास कोई मित्र, पड़ोसी या ऐसा समूह है जो हर सप्ताह उसकी राह देखता है, उसके पास बोझ उतारने की जगह होती है।

आधुनिक जीवन ने इनमें से कई रिश्ते पतले कर दिए हैं। लोग काम के लिए शहर बदलते हैं, परिवार छोटे हैं, और अधिकांश बातचीत अब स्क्रीन से होकर गुज़रती है। सुविधा बढ़ी है, पर ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी है जो कई दिन तक किसी से सचमुच बात किए बिना रह सकते हैं।

इससे संकेत मिलता है कि मन की देखभाल केवल क्लिनिकों पर नहीं छोड़ी जा सकती। स्कूल, कार्यस्थल और मोहल्ले तय करते हैं कि लोग कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और इस तरह वे सबकी मानसिक सुख-शांति को आकार देते हैं, केवल बीमार पड़ने वालों की नहीं। जिन्होंने मानसिक पीड़ा झेली है, वे ऐसी बातें भी जानते हैं जो विशेषज्ञों को शायद न पता हों: क्या काम आया, क्या चोट पहुँचा गया, और किस बात ने उन्हें सुना हुआ महसूस कराया। सेवाओं को केवल उनके लिए नहीं, उनके साथ मिलकर बनाने से मदद स्वीकार करना आसान हो जाता है।

इसलिए उपचार और जुड़ाव एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। पहला बीमारी को ठीक करता है; दूसरा बीमारी की संभावना घटाता है और स्वस्थ होने को अधिक टिकाऊ बनाता है। जो समाज केवल पहले में निवेश करेगा, वह हमेशा पीछे दौड़ता रहेगा।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है?

(a) मानसिक बीमारी में मित्रता चिकित्सीय उपचार की जगह ले सकती है।
(b) मानसिक सुख-शांति काफ़ी हद तक सामाजिक जुड़ाव पर निर्भर है, इसलिए देखभाल क्लिनिकों से आगे बढ़नी चाहिए।
(c) आधुनिक तकनीक मानसिक बीमारी का मुख्य कारण है।
(d) केवल विशेषज्ञ ही अच्छी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ बना सकते हैं।

Q2. मानसिक पीड़ा झेल चुके लोगों के साथ मिलकर सेवाएँ बनाने का सुझाव इस धारणा पर टिका है कि

(a) विशेषज्ञों के पास कोई उपयोगी ज्ञान नहीं होता।

(b) ऐसे लोगों के पास इस बारे में अंतर्दृष्टि होती है कि क्या मदद करता है, जो सेवाओं को बेहतर बना सकती है।
(c) मानसिक पीड़ा हमेशा अकेलेपन से ही होती है।
(d) क्लिनिक बंद कर देने चाहिए।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष गद्यांश से निकाला जा सकता है?
(a) जो समाज सामाजिक जुड़ाव में निवेश करता है, वह उपचार सेवाओं का बोझ घटा सकता है।
(b) अकेलापन आधुनिक समस्या नहीं है।
(c) स्क्रीन ने सारी बातचीत को अर्थहीन बना दिया है।
(d) आज परिवार पहले से बड़े हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. किसी बैंक की अपेक्षित CRR शेष राशि ₹800 करोड़ है। उसे प्रतिदिन जो न्यूनतम राशि रखनी है, वह अपेक्षा के 90% से बढ़कर 99% हो जाती है। उसका न्यूनतम दैनिक शेष कितना बढ़ता है?
(a) ₹8 करोड़
(b) ₹72 करोड़
(c) ₹80 करोड़
(d) ₹90 करोड़

Q5. कथन : सभी तटबंध संरचनाएँ हैं। कुछ संरचनाएँ बाढ़ के मैदानों पर हैं। निष्कर्ष : I. कुछ तटबंध बाढ़ के मैदानों पर हैं। II. कुछ संरचनाएँ तटबंध हैं। कौन-सा/से निष्कर्ष अनुसरण करता/करते है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न I, न II

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश का तर्क है कि भलाई लोगों के बीच बनती है और उपचार तथा जुड़ाव साथ-साथ काम करते हैं; विकल्प 0 का खंडन पहले अनुच्छेद में ही हो जाता है।

Q2: (b) लेखक कहता है कि वे जानते हैं कि क्या काम आया और किस बात ने उन्हें सुना हुआ महसूस कराया; विकल्प 0 बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है, क्योंकि विशेषज्ञों को नकारा नहीं गया है।

Q3: (a) जुड़ाव बीमारी की संभावना घटाता है, इसलिए उपचार की माँग कम हो सकती है; विकल्प 2 स्क्रीन वाली बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है।

Q4: (b) 800 का 90% = 720; 800 का 99% = 792। वृद्धि = 792 – 720 = ₹72 करोड़ (या 800 का 9%)।

Q5: (b) II 'सभी तटबंध संरचनाएँ हैं' के परिवर्तन से निकलता है। I नहीं निकलता : बाढ़ के मैदानों पर जो संरचनाएँ हैं, उनमें कोई तटबंध होना आवश्यक नहीं।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 · निबंध · खंड क · 7 मिनट पठन (min read)

निषेध नहीं, नियमन: स्वतंत्र जनता पर शासन करने की कला।

विषय (Themes): प्रतिबंध की घोषणा आसान है, पर उसके साथ जीना महँगा पड़ता है — उसका बोझ निर्दोष पर गिरता है · जो ज़रूरत लोगों को है, वह प्रतिबंध से मिटती नहीं; भूमिगत हो जाती है · कुछ कृत्य पूरी तरह निषिद्ध करने ही होते हैं — कसौटी है दूसरों को हानि और हल्के उपाय का अभाव

नई दिल्ली में एक प्रदर्शन की सुबह अपने अस्पताल से दूर रहने वाली एक नर्सिंग छात्रा ने पाया कि उसका मेट्रो स्टेशन बंद है। वह किसी चीज़ का विरोध करने नहीं निकली थी। उसकी पाली तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता था। जंतर-मंतर पर जुटने वाली एक अकेली भीड़ को सँभालने के लिए 57 स्टेशन बंद किए गए, बाद में 45, और 245 रेलगाड़ियाँ रद्द कर दी गईं। 9 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को "अतिरेकपूर्ण" कहा और वह रेखा खींची जिसे हर प्रशासक को कंठस्थ कर लेना चाहिए: किसी गतिविधि के नियमन और उसके निषेध के बीच की रेखा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुपातिकता का अर्थ यह नहीं है कि "मक्खी मारने के लिए हथौड़ा उठा लिया जाए।" इस निबंध का तर्क है कि स्वतंत्र समाज में नियमन नियम होना चाहिए और निषेध विरल अपवाद। प्रतिबंध प्रायः इस बात की स्वीकारोक्ति होता है कि राज्य विवेक का कठिन काम नहीं कर सका। पर यह निबंध यह भी मानता है कि कुछ कृत्य प्रतिबंध से कम के योग्य ही नहीं हैं, और असली कला इन दोनों को पहचानने में है।

सरकारें प्रतिबंध इसलिए पसंद करती हैं कि उसके कारण समझ में आते हैं। प्रतिबंध की घोषणा झटपट हो जाती है, मौक़े पर विवेक नहीं लगाना पड़ता, और अधिकारी सुरक्षित रहता है: बंद स्टेशन पर जो हो, उसके लिए कोई उसे दोष नहीं देता। नियमन कठिन है। उसमें पुलिस को तलाशी लेनी पड़ती है, कैमरे देखने पड़ते हैं, संख्या सीमित करनी पड़ती है और गाड़ियाँ चलाए रखनी पड़ती हैं, और कुछ बिगड़े तो जवाबदेही भी उसी की बनती है। फिर भी प्रतिबंध की क़ीमत शायद ही कभी उस व्यक्ति को चुकानी पड़ती है जिसे निशाना बनाया गया हो। प्रदर्शनकारी पैदल चल देता है; छात्रा, दिहाड़ी मज़दूर और बुज़ुर्ग रोगी बीच रास्ते फँस जाते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1859 में On Liberty में यह सिद्धांत सीधे शब्दों में रखा: किसी सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का उचित प्रयोग केवल "दूसरों को हानि से बचाने" के लिए किया जा सकता है। हमारा संविधान भी इसी तर्क पर चलता है। अनुच्छेद 19 सभा करने की स्वतंत्रता देता है और फिर केवल "युक्तियुक्त निर्बंधन" की अनुमति देता है, उन्मूलन की नहीं। मज़दूर किसान शक्ति संगठन (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाने के बजाय उनका नियमन किया जा सकता है।

इतिहास दिखाता है कि जब कोई समाज उसे प्रतिबंधित करता है जिसकी लोगों को ज़रूरत या चाह है, तो क्या होता है। अमेरिका ने 1920 में शराब पर प्रतिबंध लगाया। पीना बंद नहीं हुआ; वह अवैध शराबख़ानों में चला गया, और उसके मुनाफ़े से संगठित अपराध पनपा। देश ने 1933 में यह प्रतिबंध वापस ले लिया। भारत यही कहानी अपने साहित्य के माध्यम से जानता है। प्रेमचंद की "नमक का दारोगा" एक ऐसे वाक्य से शुरू होती है जो शासन का सूत्र बन सकता है: "जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर-प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी-छिपे इसका व्यापार करने लगे।" प्रतिबंध ने तस्कर पैदा किया, और तस्कर ने वह रिश्वत पैदा की जिसे ईमानदार दारोगा वंशीधर ठुकरा देता है। 1930 में जब गांधी दांडी पहुँचे और मुट्ठी भर नमक उठाया, तो एक अनिवार्य वस्तु पर लगे निषेध को उन्होंने इस बात का सबसे साफ़ प्रमाण बना दिया कि राज अपनी नैतिक सत्ता खो चुका है। जो क़ानून आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ को वर्जित करता है, वह ज़रूरत को ख़त्म नहीं करता। वह केवल यह तय करता है कि उससे मुनाफ़ा कौन कमाएगा।

आज की ख़बरें बेहतर नमूने देती हैं। वर्षों तक कार्ड-भुगतान को मंज़ूरी देने का व्यवहारतः एक ही तरीक़ा था, OTP। ठग उसी एक छह-अंकीय कोड को फ़िशिंग से हथियाना सीख गए। RBI के प्रमाणीकरण संबंधी नए निर्देश, जो अप्रैल से लागू हैं, दो-स्तरीय सुरक्षा बनाए रखते हैं, पर साधन तय नहीं करते। उपभोक्ता मामलों के एक पूर्व सचिव के शब्दों में, RBI ने "साधन निर्धारित करने के बजाय परिणाम का नियमन करना चुना" और सुरक्षा विफल होने पर कार्ड जारीकर्ताओं को जवाबदेह बनाया। जून में 61.1 करोड़ से अधिक UPI भुगतान फ़िंगरप्रिंट या चेहरे से स्वीकृत हुए। "असत्यापित आधारों पर" मतदाताओं के विरुद्ध थोक आपत्तियों का सामना करते हुए निर्वाचन आयोग ने आपत्तियाँ पूरी तरह बंद नहीं कीं। उसने हर व्यक्ति को दावा-अवधि में दस फ़ॉर्म तक सीमित किया और दोनों पक्षों की सुनवाई अनिवार्य की। मणिपुर में भी, जहाँ राज्य अफ़ीम की खसखस नष्ट करने में सही है, वन विभाग ने साफ़ की गई 255 हेक्टेयर भूमि पर बाँस लगाया है और ग्राम-प्रधानों के साथ काम कर रहा है। विभाग के अनुसार बाँस पर्यावरण की बहाली में मदद कर सकता है और आजीविका के अवसर भी बना सकता है। जो प्रतिबंध कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं देता, वह केवल खसखस के लौटने की प्रतीक्षा करता है।

प्रति-तर्क को पूरा वज़न मिलना चाहिए। कुछ चीज़ों का नियमन नहीं किया जाना चाहिए; उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। 1829 के बंगाल सती नियमन ने विधवा-दहन को शर्तों के साथ अनुज्ञापित नहीं किया; उसे वर्जित किया। संविधान अस्पृश्यता का नियमन नहीं करता; अनुच्छेद 17 उसका अंत करता है। अनुच्छेद 23 मानव-व्यापार और बेगार को प्रतिषिद्ध करता है, और अनुच्छेद 24 बच्चों को जोखिम-भरे काम से रोकता है। इनका नियमन करने का अर्थ यह मानना होगा कि किसी मात्रा में ये स्वीकार्य हो सकते हैं। विज्ञान में भी प्रतिबंध कारगर हो सकता है। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओज़ोन परत को पतला करने वाले रसायनों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया, और परत अब पुनर्प्राप्ति की राह पर है। एक दूसरी चेतावनी भी है। नियमन स्वयं एक प्रकार के निषेध में कठोर हो सकता है। 1991 से पहले भारत के लाइसेंस-परमिट राज ने शायद ही किसी उद्योग पर सीधे प्रतिबंध लगाया, फिर भी उसकी अनुमतियों, कोटों और विलंब ने उद्यम का उतनी ही निश्चितता से गला घोंटा। जिस नियम के लिए सौ मंज़ूरियाँ चाहिए, वह धीमी गति का प्रतिबंध है।

ये आपत्तियाँ तर्क को परास्त नहीं करतीं; उसे एक कसौटी में निखार देती हैं। पहला, केवल उसी को निषिद्ध कीजिए जो दूसरों की स्वतंत्रता या गरिमा को नष्ट करता है — मिल की "हानि", न कि मात्र असुविधा या अरुचि। सती, बंधुआ मज़दूरी और अफ़ीम का वह व्यापार, जिसे मणिपुर के जातीय संघर्ष के कारणों में गिना जाता है, इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। विरोध-प्रदर्शन, भुगतान का कोई तरीक़ा और मतदाता की आपत्ति नहीं उतरते। दूसरा, उद्देश्य वैध हो तब भी सबसे कम प्रतिबंधात्मक कारगर उपाय अपनाइए, और लिखकर रखिए कि हल्का उपाय क्यों विफल होता। स्टेशन बंद करने से पहले तलाशी और CCTV आते हैं। आपत्तियाँ समाप्त करने से पहले सीमा और सुनवाई आती है। तीसरा, जब प्रतिबंध सचमुच आवश्यक हो, तो जिस माँग को वह दबाता है उसका विकल्प दीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए सफल हुआ कि उद्योग के पास प्रतिबंधित रसायनों के विकल्प थे; खसखस पर रोक तभी टिकेगी जब बाँस से कमाई होगी। चौथा, नियमन को हल्का, स्पष्ट और परिणामों के प्रति जवाबदेह रखिए, ताकि वह नए वेश में लाइसेंस राज न बन जाए।

लखनऊ में गोमती की बाढ़, जो 1982 के बाद नदी-तट पर आई सबसे भीषण जल-प्लावन है, यही चुनाव दूसरे रूप में सामने रखती है। 1945 में भूगोलवेत्ता गिल्बर्ट व्हाइट ने लिखा था कि बाढ़ें "ईश्वरीय कृत्य" हैं, पर बाढ़ से होने वाली हानि मुख्यतः मनुष्य का कृत्य है, जो नदियों के बाढ़-मैदानों पर निर्माण से होती है। उत्तर न नदी-किनारे के नगरों को छोड़ देना है, न जिसका जहाँ मन करे वहाँ निर्माण की छूट देना। उत्तर है भूमि-उपयोग का सावधानी से नियमन: कौन-से क्षेत्र खुले रहेंगे, किन पर निर्माण हो सकता है और कैसे। यहाँ भी विवेकशील राज्य न आँख मूँदकर निषेध करता है, न आँख मूँदकर अनुमति देता है। वह शासन करता है।

एक बार फिर प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी उस नर्सिंग छात्रा के बारे में सोचिए। वह ऐसा राज्य नहीं चाहती जो भीड़ को मनमानी करने दे; वह चाहती है कि उसकी गाड़ी सुरक्षित रहे। न ही वह ऐसा राज्य चाहती है जो उसे घर में बैठाकर सुरक्षित रखे। स्वतंत्र लोग वे नियम मान लेते हैं जिनके साथ जी सकें, और जिनके साथ नहीं जी सकते उन्हें चकमा देना सीख लेते हैं। उन पर शासन की कला है कम वर्जित करना और अच्छी तरह नियमित करना। इसका अर्थ है हर प्रतिबंध का कारण बताना और हथौड़े को उस विरल बुराई के लिए बचाकर रखना जिसे कोई हल्का औज़ार रोक नहीं सकता। जो राज्य हर कठिन चीज़ पर प्रतिबंध लगा देता है, वह जल्दी ही तस्करों और बीच राह फँसे लोगों पर शासन करता पाया जाता है। जो राज्य सावधानी से नियमन करता है, वह ऐसे नागरिकों पर शासन करता है जो उस पर भरोसा करते हैं।

आज के काइर्स से निर्मित (Built from today's cards):